राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नीति

प्रस्तावना

1. स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हालाकि, इनका दुरुपयोग हो सकता है और हो भी रहा है तथा इनका अवैध व्यापार भी हो रहा है। स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर भारत के दृष्टिकोण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में दर्शाया गया है जिसमें कहा गया है कि 'राज्य नशीले पेयों और दवाओं,जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, के प्रयोग पर केवल चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।' चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर, नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए इसी सिद्धांत को नशीली दवाओं से संबंधित तीन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशनों यथा सिंगल कन्वेंशन आन नार्कोटिक ड्रग्स, 1961 कन्वेंशन आन साइकोट्रापिक सब्स्टैन्सेस, 1971 और यू एन कन्वेंशन एगेन्स्ट इल्लिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सप्सटैन्सेस 1988 में भी अपनाया गया। भारत ने इन तीनों कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किया है और इनको अभिपुष्ट भी कर दिया है। इन तीन कन्वेंशनों के लागू होने के पहले से ही भारत ने नशीली दवाओंके दुरुपयोग और उसके व्यापार को रोकने के लिए अपनी कटिबद्धता प्रकट की है।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) 1985 को संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थों से संबंधित कन्वेंशनों और उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रति भारत के दायित्वों और कर्त्तव्यों को मद्दे नजर रखते हुए तैयार किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिये नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थों के विनिर्माण, उत्पादन, व्यापार प्रयोग, आदि पर रोक लगा दी गई है।

3. सरकार की नीति इस तरह से बनाई गई है कि इन दवाओं और पदार्थों का प्रयोग चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोग के लिये हो और इनका कानूनी स्रोत से विपथन न हो सके और इसके अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोका जा सके। पहले के अफीम अधिनियम और घातक औषधि अधिनियम, जिनके स्थान पर यह आया है, के विपरीत एनडीपीएस एक्ट से विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विधि

प्रवर्त्तन एजेंसियां को प्रवर्त्तन शक्तियों प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार कानून का दायरा बहुत दूर-दूर तक बढ़ गया है। एनडीपीएस एक्ट से केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए यह संभव हो गया है कि वे किसी भी विभाग के नये वर्ग के अधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है ताकि वे इस विधि को प्रवर्त्तित कर सकें।

4. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम ने वैध क्रियाकलापों को विनियमित करने से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों को विभाजित कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 9 में ऐसे कई क्रियाकलापों की सूची तैयार की गई है जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और उनको विनियमित कर सकती हैं। इस प्रकार हमारे यहां केन्द्र सरकार का अपना एनडीपीएस नियमावली है और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों ने अपने-अपने एनडीपीएस नियमावली बनाई है। इनका प्रवर्त्तन केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

5. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत वैज्ञानिक प्राधिकारियों का सृजन किया गया है जैसे कि स्वापक आयुक्त (धारा 5), सक्षम प्राधिकारी (धारा 68घ) और प्रशासक (धारा 68छ)। स्वापक आयुक्त जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा प्राधिकरण जिसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाता है का सृजन इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत् किया गया है।

6. एलोकेशन आफ बिजनेस रुल्स के अनुसार सरकारी कार्य को केन्द्र सरकार में विभाजित किया गया है। इन नियमों के अनुसार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रवर्त्तन वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। हालाकि ड्रग डिमांड रिडक्शन से संबंधित मामले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जिसपर स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के मुद्दों की जिम्मेदारी है, देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में कई नशा मुक्ति केन्द्र चला रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों (केन्द्र और राज्य) में समन्वय स्थापित करता है।

7. राज्य सरकारों के भी अपने-अपने स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग हैं। जिनमें प्रत्येक के अपने-अपने क्रियाकलाप हैं जो कि नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने से संबंधित है।

इस नीति की आवश्यकता

8. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, केन्द्र और राज्य सरकारों के कई विभाग और संगठन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। इनमें से कुछ को नीचे सूची में दिया गया है:-

क्र.सं.	**कार्य**	**सरकार/विभाग/संगठन**
1	नशीली दवाओं से संबंधित विधियों का प्रवर्त्तन	**केन्द्र सरकार** 1. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो 2. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो 3. राजस्व आसूचना महानिदेशालय 4. सीमा शुल्क आयुक्तालय 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय 6. तटरक्षक दल **राज्य सरकारें** राज्य दर राज्य भिन्न, समान्यतया 1. राज्य पुलिस 2. राज्य उत्पाद शुल्क अधिकारी
2	अफीम और मांग की अवैध फसलों का पता लगाना और उनको नष्ट करना	**संदिग्ध क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण** केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) एनसीबी और सीबीएन का सर्वेक्षण करता है और उसके साथ जानकारी का आदान-प्रदान करता है। **केन्द्र सरकार** 1. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार 2. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ग्वालियर, राजस्व विभाग, भारत

		सरकार **राज्य सरकारें** राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न सामान्यतया 1. राज्य पुलिस 2. राज्य पुलिस अधिकारी
3	एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 9 में उल्लिखित विभिन्न क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
4.	एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 9 में उल्लिखित विभिन्न कियाकलापों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना	राज्य सरकारें
5.	अफीम पापी की खेती के लिए लाइसेंस देना और उसका निरीक्षण करना	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
6.	नशीली औषधियों के विनिर्माण के लिये लाइसेंस प्रदान करना	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
7.	अफीम को सुखाना और उसका निर्यात करना	मुख्य कारखाना नियंत्रक, नई दिल्ली
8.	अफीम से उसके अलकलायड का निष्कर्षण	मुख्य कारखाना-नियंत्रक, नई दिल्ली
9.	अफीम के अल्कलायड का आयात	मुख्य कारखाना-नियंत्र, नई दिल्ली
10.	नशीली दवाओं का आई एन सी बी द्वारा लगाये गये अनुमान का आवंटन और उसके बाद उसकी मानीटरिंग	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
11.	परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों, आदि को नशीली औषधियों के नमूनों की आपूर्ति	मुख्य कारखाना-नियंत्रक, नई दिल्ली
12.	नशीली औषधियों की बिक्री, प्रयोग, उपभोग आवा-गमन पर नियंत्रण	राज्य सरकारें, सामान्यतया अपने-अपने राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के माध्यम से

13.	स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा पूर्ववर्त्ती पदार्थों के आयात और निर्यात पर नियंत्रण	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
14.	पोस्त बीज के आयात अनुबंध का पंजीकरण	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
15.	मन:प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण, व्यापार आदि का विनियमन	ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट एंड रुल्स के साथ पठित एनडीपीएस रुल्स के अंतर्गत आने वाले राज्य औषधि नियंत्रक/स्वापक नियंत्रक, आयात और निर्यात ।
16.	एनडीपीएस (रेग्यूलेशन आफ कन्ट्रोल्ड सब्स्टैन्सेस) आर्डर, 1993 के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थों से संबंधित रिटर्न की प्राप्ति और उसकी मानीटरिंग	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
17.	नियंत्रित डिलीवरी प्रक्रिया	महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
18.	नशीली दवाओं के व्यापारियों उनके सगे संबंधियों साथियों की सम्पत्ति की जब्ती, कुर्की	एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (इस समय दिल्ली, चेन्नै, मुम्बई और कोलकाता में)
19.	जब्त कुर्क सम्पति का प्रबंधन	एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक (इस समय दिल्ली, चेन्नै मुम्बई और कोलकाता में)
20.	नशेड़ियों को अफीम की आपूर्ति	राज्य सरकारें, सामान्यतया अपने राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के माध्यम से
21.	पोस्त भूस का विनियमन	राज्य सरकारें, राजस्व विभाग भारत सरकार के दिनांक 30 नवम्बर, 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार
22.	नशेड़ियों की नशाखोरी छुड़ाने और उनके पुनर्वास में लगे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाना वाला ड्रग डिमांड रिडक्शन	सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

23.	ड्रग डिमांड रिडक्शन में गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सामाजिक अभिरक्षा संस्थान
24.	निवारक शिक्षा	सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय
25.	सरकारी अस्पतालों के माध्यम से नशेड़ियों का उपचार	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
26.	ड्रग डिमांड रिडक्शन के कार्य में डाक्टरों को प्रशिक्षण	नेशनल ड्रग डिपेन्डेन्स ट्रीटमेंट ट्रेनिंग सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली
27.	राज्य स्तर पर नशीली दवाओं की मांग में कमी	राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग
28.	राज्यों के सरकारी अस्पतालों के माध्यम से चलने वाला ड्रग डिमांड रिडक्शन क्रियाकलाप	राज्यों के स्वास्थ्य विभाग
29.	पकड़े गये दवा नमूनों का परीक्षण	1. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला 2. लेबोरेटरीज आफ गवर्नमेंट ओपीयम एंड एल्कलायड्स वर्क्स (जीओएडब्लू) 3. केन्द्रीय विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला 4. विभिन्न राज्यों की राजकीय विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशालायें
30.	नशीली दवाओं से संबंधित विधियों के प्रवर्त्तन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण	1. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी 2. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 3. राज्य प्रशिक्षण स्कूल 4. राष्ट्रीय अपराध शास्त्र और विधि चिकित्सा विज्ञान संस्थान 5. सी आर सी एल 6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
31.	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और स्वापक औषधि आयोग में रिटर्न	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

	भरना	
32.	विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती की सांख्यिकी तैयार करना	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
33.	नशीली दवाओं और उसके पूर्ववर्त्ती पदार्थों के आयात और निर्यात के बारे में अन्य देशों के प्राधिकारियों साथ और आईएनसीबी के साथ ताजा जानकारी का आदान प्रदान	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर
34.	कैंसर/दर्द से राहत प्रदान करने और प्रशामक उपचार के लिए मार्फीन/ओपिआयड उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों के स्वास्थ्य विभाग राजकीय औषधि नियंत्रक और मुख्य कारखाना नियंत्रक

9. उपर्युक्त प्रत्येक संगठनों में भारी संख्य में कर्मचारी मौजूद हैं और यहां तक कि राजकीय पुलिस जैसे संस्थानों के पास तो हजारों कर्मचारी हैं।

10. कुछ अन्य संगठन, जिनमें कुछ का एनडीपीएस एक्ट में प्रत्यक्ष भूमिका न होने पर भी, नशीली दवाओं के व्यापार और प्रयोग की समस्या से नजदीकी से जुड़े है। उदाहरण के तौर पर, जेल के कर्मचारियों को नशेड़ियों की समस्या से उलझना पड़ता है क्योंकि नशे की लत सामान्य लोगों की अपेक्षा कैदियों में ज्यादा होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो कि केवल एड्स से संबंधित है, को सूई के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में एचआईवी के फैलने की समस्या से जूझना होता है।

11. ऐसे भी कई मुद्दे और हैं जिनपर देश में एक समान नीति नही बनी है। उदाहरणार्थ सूईयों के माध्यम से नशीली दवाओं का प्रयोग करने वालों (आईडीयू) (यानी ऐसे लोग जो घूम्रपान, सूंघने या मुंह से खाने के बजाय इंजेक्शन से नशीली दवा लेते हैं) प्राय: आपस में सूइयों और सिरिंज का आदान प्रदान करते हैं। इनमें से यदि एक को एचआईवी हो तो बाकी लोगों में इन सूइयों और सिरिंज के माध्यम से यह रोग फैला देता है। इन सूई के माध्यम से नशीली दवाओं का प्रयोग करने वालों से निपटने के लिए दो ही रास्ते हैं- 'नुकसान को कम करना' या 'इससे दूर रहना'। जहां तक नुकसान को कम करने की बात है नशेड़ियों को साफ सूई और सिरिंज देकर कहा जा सकता है कि वे इसका प्रयोग सफाई पूर्वक करें

(जिससे कि वे सूई और सिरिंज का आदान प्रदान न करें) इसके अलावा उनको बूप्रेनार्फीन या मेथाडोन की गोलियां देना (जिससे कि वे हेरोइन का इन्जेक्शन न लगाये, वे बूप्रेनार्फीन या मेथाडोन को मुंह से खा सकते है)। 'इनसे दूर रहने' का दृष्टिकोण यह है कि एचआइवी को रोकने के लिए नशे से दूर रहने के लिए कह जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस और चीन जैसे देश इसी दूर रहने' की नीति को अपनाते हैं जबकि यूरोपीय समुदाय और आस्ट्रेलिया जैसे देश 'हानि को कम करने' के दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने अब तक 'दूर रहने' की नीति का पालन किया है जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'नुकसान को कम करने' की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतिगत दस्तावेजों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, इसी प्रकार के भटकाव और इनसे संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

12. एनडीपीएस पर राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली गई है और ऐसा करने में संबंधित मंत्रालयों संगठनों और राज्य सरकारों से परामर्श भी किया गया है। इस नीति के उद्देश्य हैं-

(क) स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर भारत की नीति तैयार करना

(ख) भारत के मंत्रालयों और संगठनों को तथा राज्य सरकारों को साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि का मार्गदर्शन करना

(ग) नशीली दवाओं के खतरे का समग्र तरीके से समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दुहराना

वैध खेती

अफीम पोस्त की खेती

13. भारत अफीम का एक परम्परागत उत्पादक देश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात सर्वमान्य है। केन्द्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस देता है। यह खेती केवल केन्द्र सरकार की ओर से की जाती है। किसानों द्वारा उत्पादित सारी अफीम को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो खरीद लेता है और इस गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कलाइड वर्क्स (जीओएडब्लू) को अंतरित कर देता है। जीओएडब्ल्यू अफीम को सुखाता है, उसका निर्यात करता है और यह इसकी कुछ मात्रा राज्य सरकारों को देता है ताकि वे इसको नशेड़ियों को मुहैया करा सकें, वे इसकी कुछ मात्रा आयुर्वेदिक दवा कम्पनियों को देता है शेष मात्रा को वे अपने अल्कलायड योजनाओं

के लिये रखता है ताकि अलकलायड का निष्कर्षण कर सकें। जोओएडब्लू कई तरह के अल्कलायड का विनिर्माण करते हैं जैसे कि मार्फीन, कोडीन, थेबाइन, नोसकैपाइन, पेपावेरीन, हाइड्रोकोडोन, आक्सीकोडोन, फोलकोडीन आदि और फिर उन्हें से औषधि कम्पनियों को उपलब्ध कराते हैं।

14. वास्तविक जरुरत के मुताबिक चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये उपर्युक्त प्रकार से अफीम पोस्त की खेती जारी रहेगी। साथ ही साथ निम्नलिखित क्षेत्रों का भी अन्वेषण किया जायेगा।

(क) पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात् पोस्त भूस के सान्द्र (सीपीएस) के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती

(ख) अनुसंधान संस्थानों और कम्पनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे ऐसे बीजों का विकास/आयात करें, ऐसे पोस्त का पता लगाया जा सके जिनमें अलकलायड की मात्रा ज्यादा हो और यह भी पता लग सके कि क्या उनमें भारत में पोस्त गम उत्पादन या सी पी एस के उत्पादन के लिए उपर्युक्त हैं या नहीं।

(ग) अनुसंधान संस्थानों और कम्पनियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना कि कम अलकलायड वाली या अलकलायड मुक्त अफीम पोस्त की किस्मों का आयात/विकास करें जो कि केवल पोस्त बीजों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हो।

<u>पोस्त बीजों के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती और पोस्त बीजों का आयात</u>

15. पापावेर सोमिनीफेरम के बीजों को पोस्त बीज कहा जाता है और जबकि इसका 'लेटेक्स' जो रिस कर बाहर आता है और सूख जाता है उसे हम अफीम गोंद कहते हैं। पोस्त गोद कई प्रकार के अलकलायडों का स्रोत होता है और नशीली दवा के रुप में इनका दुरुपयोग होता है जबकि पोस्त बीज को स्वापक नहीं माना जाता है और भारतीय भोजन में इसका मसाले के रुप में प्रयोग किया जाता है। अफीम पोस्त की वैध खेती से उत्पाद के रुप में जितना पोस्त बीज प्राप्त होता है भारत में पोस्त बीजों की उससे कही ज्यादा मांग होती है अत: मांग और आपूर्ति के इस अंतर को पूरा करने के लिए इस समय पोस्त बीजों का आयात किया जा रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जो कम अलकलायड वाली पोस्त की पैदावार करते हैं जिससे कि केवल पोस्त बीजों का ही उत्पादन हो सके। पोस्त भूस को नष्ट कर दिया जाता है आगे चलकर भारत में भी इसी दृष्टिकोण की जरुरत पड़ेगी जिससे

कि पर्याप्त मात्रा में पोस्त बीजों का उत्पादन हो सके और देश की जरुरत पूरी हो सके।

16. भारत सरकार अफीम पोस्त की कम अल्कलायड वाली या गैर अलकलायड वाली किस्मों की खेती को बढ़ावा दे रही है। जिसका केवल पोस्त बीजों के उत्पादन के लिये ही उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार अन्य देशों में उपलब्ध कम अलकलायड वाली किस्मों के बीजों के परीक्षण और बहुलीकरण को बढ़ावा देगी। यदि एक बार सुस्थापित और परीक्षण की ऐसी पद्धतियों का पता चल जाता है जिससे कि अपील के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले संयंत्रों से ऐसे संयंत्रों का अलग किया जा सके जिनका प्रयोग पोस्त बीजों के उत्पादन के लिए होता है तो सरकार कम अल्कलायड वाली या अलकलायड मुक्त अफीम पोस्त की खेती को बढ़ावा दे सकती है जिनका प्रयोग केवल पोस्त बीजों के उत्पादन के लिए हो सकता है जिससे इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त हो सके और पोस्त बीजों का निर्यात किया जा सके। हालांकि अलकलायड उक्त किस्मों की खेती को तभी अनुमति दी जा सकती है जब ऐसी किस्मों का पर्याप्त परीक्षण हो सकता है और इसमें ऐसे गुण प्रकट होते है जिससे कि इनको अफीम के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली जा सीपीएस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली किस्मों से अलग किया जा सके।

17. पोस्त बीजों का आयात तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर ली जाती है। इस नीति का उद्देश्य किसी भी देश से पोस्त बीज के आयात की अनुमति प्रदान करना है बशर्ते कि इसका उत्पादन उस देश में हुआ हो जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया हो कि वह निर्यात के लिए अफीम पोस्त का उत्पादन कर सकता है और इसकी खेती भी वैध रुप से की गई हो। ऐसे किसी देश से अफीम पोस्त के आयात की अनुमति नही दी जा सकती जहां इसकी खेती अवैध रुप से की जाती हो। पोस्त बीजों के आयात से संबंधित सभी अनुबधों को स्वापक आयुक्त के पास अनिवार्यत: पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसे अनुबंधों को पंजीकृत करने के पहले स्वापक आयुक्त अपने को इस बात से संतुष्ट करेगा कि वह देश जहां से पोस्तबीज का आयात किया जाना है अफीम पोस्त की खेती वैध रुप से करता है और जितना आयात किया जाना है उतनी मात्रा में बीज उपलब्ध करा सकता है।

18. कुछ देशों में पोस्त बीजों का प्रयोग पोस्त बीज तेलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत सरकार भी पोस्त बीज तेल के उत्पादन को बढ़ावा देगी ताकि भारत में इनका इस्तेमाल हो सके और इसका निर्यात भी किया जा सके।

पोस्त भूस का प्रयोग और इसको नष्ट करना

19. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुसार पोस्त भूस से अभिप्राय अफीम पोस्त के पौधे के सभी भाग, केवल इसके बीजों को छोड़कर, से है। हालांकि मार्फीन मुख्य रुप से केवल इसकी फली के भूस में होती है और ऊपरी तने के लगभग पांच मिलीमीटर तक होती है। रस के निष्कर्षण के बाद फली की भूस में फिर भी अल्कलायड की थोड़ी मात्रा बची रह जाती है और यदि इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाय तो इस भूस से नशा हो जाता है। अफीम गोद को निकाल लेने पर किसान लोग फली को तोड़कर उसके बीज को निकालकर बेच देते हैं। फली के भूस को पोस्त भूस भी कहा जाता है। स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 10 राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पोस्त भूस के परिवहन विक्री आदि की अनुमति दे सकती है और उसको विनियमित भी कर सकती है। राज्य सरकारों की यह शक्ति धारा 8 के अंतर्गत लगाये जाने वाले प्रतिबंधनों के अधीन होती है जिसके अनुसार किसी भी स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का प्रयोग चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों से भिन्न अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारें वह न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती हैं जिसका भुगतान लाइसेंस प्राप्त क्रेता पोस्त भूस के लिए किसानों को करेंगे। पोस्त भूस व्यापार प्रयोग आदि के लिए लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकारों को निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा यथा-

(क) प्रत्येक राज्य जो पोस्त भूस से संबंधित क्रियाकलापों के लिए लाइसेंस जारी करेगा वह एक नोडल अधिकारी नामित करेगा जो कि पोस्त भूस से संबंधित सभी मामलों की देख रेख किया करेगा।

(ख) पोस्त भूस के सभी विद्यमान नशेड़ियों को उनके समुचित चिकित्सीय उपचार के लिए पंजीकृत किया जाना होगा:

(ग) नशेड़ियों के पंजीकरण और उनके द्वारा घोषित मात्रा के आधार पर और चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किये जाने के बाद यह अधिकारी यह निश्चित करेगा कि प्रत्येक नशेड़ी और सम्पूर्ण राज्य के लिए कुल कितनी मात्रा में पोस्त भूस की जरुरत हैं।

(घ) नशेड़ियों को दी जाने वाली पोस्त भूस की मात्रा धीरे-धीरे कम की जायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ अवधि के बाद यूं कहिये कि इस नीति की घोषणा के तीन वर्ष के बाद ऐसा कोई नशेड़ी नही होगा जिसे पोस्त भूस की जरुरत पड़े। इसके बाद नशा मुक्ति के लिए पोस्त भूस की इजाजत नहीं होगी फिर इसके बाद नीचे (ज) में दर्शाई गई विधि के अनुसार वापस ले लिया जायेगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्वापक आयुक्त की निगरानी में पूरा किया जायेगा।

(ड.) नशेड़ियों को पोस्त भूस की आपूर्ति किये जाने में सख्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इस कार्य को एनडीपीएस एक्ट/उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ही किया जा रहा है।

(च) पोस्त भूस की खरीद और विक्री के लिए जारी किये गये लाइसेंसों में वह मात्रा विनिर्दिष्ट की जानी है जिसकी खरीद अथवा बिक्री की जा सकती है।

(छ) किसी राज्य में खरीद और बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त पोस्त भूस की कुल मात्रा नशेड़ियों की चिकित्सा के लिए जरुरी कुल मात्रा और पोस्त भूस की वैज्ञानिक आवश्यकता की मात्रा से अधिक नही होगी।

(ज) सभी पोस्त भूस जिसका उपयोग नहीं हो पाता है को नोडल अधिकारी के निरीक्षण में पुन: वापस खेतों में डालकर जुतवा दिया जायेगा। जो स्वापक आयुक्त को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पोस्त भूस की सम्पूर्ण अप्रत्युक्त मात्रा को उसकी निगरानी में खेतों में पुन: जुतवा दिया गया है।

भांग की खेती

20. एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 10, इस अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती के लिए अनुमति दे सकती हैं। भांग का चिकित्सा परक उपयोग इस समय बहुत ही सीमित है और होमियोपैथिक और आयुर्वेद में वैकल्पिक दवा के रुप में इसका इस्तेमाल होता है। वास्तव में राज्य सरकारें भांग की खेती की अनुमति नहीं देती है। काफी समय बाद वैज्ञानिकों में भांग की चिकित्सा परक प्रयोग के प्रति अभिरुचि जगी है। भांग की खेती के लिए अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते कि इसका प्रयोग चिकित्सा संबंधी प्रयोग के लिए हो। इसकी खेती की अनुमति अनुसंधान के लिए ही दी जा सकती है जिसमें भांग की विभिन्न किस्मों का परीक्षण भी शामिल है।

21. भांग को भांग की पत्तियों से तैयार किया जाता हैं, भारत में जिसका सेवन कुछ त्योहारों के समय किया जाता है। चूंकि इसे भांग की रेसिन या फूल से तैयार

नहीं किया जाता है अत: इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत नहीं लाया गया है। कई राज्य सरकारों ने भांग के उत्पादन और उसकी बिक्री की अनुमति दे रखी है। जिसके पास इस तरह का लाइसेंस होता है वह भांग का उत्पादन कर सकता है लेकिन वह इसे जंगली भांग की पत्तियों से पैदा कर सकता है। वे फूलों और पौधों के रेसिन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भांग में फूलों और रेसिन का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसे एनडीपीएस एक्ट, 1985 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जायेगा और यदि लाइसेंस शुदा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

बागवानी और औद्योगिक उद्दश्यों के लिए भांग की खेती

22. भांग के पौधों का प्रयोग बायोमास के स्रोत के रुप में हो सकता है और औद्योगिक उद्देश्य के लिए इसका रेशे के रुप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भांग के बीज की पैदावार भांग बीज के तेल के लिए की जा सकती है जिसकी कीमत बहुत अधिक होती है। कुछ देश भाग की ऐसी किस्मों की खेती के लिए लाइसेंस जिसमें टेट्राहाइड्रो कैन्नाबिनोल (टीएचसी) की बहुत कम मात्रा होती है, जिसका प्रभाव नशा पैदा करना होता है। भांग की इन किस्मों का उत्पादन फाइबर उत्पादन के लिए होता है जिसका इस्तेमाल फेब्रिक्स और बायोमास के उत्पादन में किया जा सकता है।

23. एनडीपीएस एक्ट की धारा 14 के तहत् सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विशेष आदेश जारी करके केवल वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति दे सकती है। केन्द्र सरकार भांग की कम टीएचसी वाली किस्मों के अनुसंधान और परीक्षण को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि केन्द्र सरकार बागवानी और/या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती के प्रति सावधानीपूर्ण और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपना सकती है और अनुसंधान परिणामों के आधार पर निर्णय ले सकती है।

कोका बुश की खेती

24. एनडीपीएस एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कोका बुश की खेती के लिए अनुमति दे सकती है। केन्द्र सरकार ने अभी तक भारत में कोकाबुश की खेती

के लिए अनुमति नही दी है। केन्द्र सरकार इस नीति को जारी रखेगी तथा केवल शोध के प्रयोजनार्थ किसी खेती के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगी।

अवैध खेती

राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की भूमिका

25. अफीम पोस्त (पापावेर सोमिनीफेरम) तथा कैनाविस (कैनाविस सटीवा) की अवैध खेती एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। लाइसेंस के लिए अफीम पोस्त की खेती करने वाले को धारा 18 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, जबकि कैनाविस की खेती करने वाले को धारा 20 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। धारा 44 के अनुसार, धारा 41,42 या 43 के अंतर्गत अधिकृत केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को अवैध खेती के अपराधों के संबंध में प्रवेश, तलाशी जब्ती एवं गिरफ्तारी का अधिकार है। कोई महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई मजिस्ट्रेट या धारा 42 के अंतर्गत अधिकृत राजपत्रित रैंक का कोई अधिकारी अफीम पोस्त केनाविस या कोका के किसी पौधों को कुर्क कर सकता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि उस अवैध ढंग से उगाया गया है तथा ऐसा करते समय वह ऐसा आदेश प्राप्ति कर सकता है जिसे वह उपलब्धता समझे जिनमें फसल को नष्ट करने का आदेश शामिल है (धारा 48)।

26. धारा 46 के अंतर्गत भूधारी का यह दायित्व है कि वे पुलिस के या धारा 42 में उल्लिखित विभाग के किसी अधिकारी को अपनी भूमि में अवैध खेती की सूचना दें तथा ऐसे भूधारी को दंडित किया जा सकता है जो जानबूझकर ऐसी सूचना नही देता है। एनडीपीएस अधिनियम का यह प्रावधान समान रुप से सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होता है, जब सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर ऐसी अवैध खेती होती हो । धारा 47 के अंतर्गत सरकार के प्रत्येक अधिकारी तथा प्रत्येक पंच, सरपंच एवं अन्य ग्राम अधिकारी का यह दायित्व है कि वे पुलिस के 41 धारा 42 में उल्लिखित विभागों को किसी अधिकारी को अवैध खेती की तत्काल सूचना दें जब यह उसकी जानकारी में आए तथा सरकार के किसी अधिकारी पंच या संरपंच तथा अन्य ग्राम अधिकारी को, जो ऐसी सूचना नही देता है अवैध खेती के संबंध में दंडित किया जाना संभव है।

27. इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, अफीम पोस्त एवं कैनाविस की अवैध खेती के मामले नोटिस किए गए हैं। भारत सरकार ऐसी अवैध खेती को गंभीर सरोकार का मामला मानती है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इस सरपंच से निपटने के लिए साथ मिलकर काय करना जारी रखेगी तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वाह के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को निदेश जारी करेगी । केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार एक अपना अधिक नोडल अधिकारी पदनामित करेगी जिन्हें ऐसे अधिकारी रिपोर्ट करेंगे जिनको किसी अवैध खेती की जानकारी मिलती है। उन्हें वे नोडल अधिकारियों के नाम व संपर्क ब्यौरा व्यापक रुप से प्रचारित करेंगे जिससे कि न केवल अधिकारी, पंच, संरपंच एवं भूमि धारक बल्कि सामान्य जनता भी अवैध खेती के बारे में सूचना उपलब्ध करा सके। केन्द्र व राज्य सरकारें शून्य सहनशीलता की नीति का पालन करेंगे एवं अवैध खेती में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनेक कड़ी संभव कार्रवाई करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो तथा संबंधित राज्य सरकारें अपने संबंधित नियंत्रण के अंतर्गत स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 47 का उल्लंधन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध पर भी कार्रवाई करेगी।

28. अवैध खेती की समस्या से निपटने का संपूर्ण दायित्व केन्द्र सरकार पर होगा। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) अवैध अपील पोस्त की खेती का उपग्रह से सर्वेक्षण जोर शेार से जारी रखेगा तथा वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को भी वे चित्र देगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो एवं राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए नष्ट करने का अभियान चलाएगा। खेतों से संबंधित आसूचना इकट्ठा करने और अवैध खेती को नष्ट करने एवं उन्हें गिरफ्तार करने व दोषियों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रुप से राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सभी आवश्यक सहायता व सुरक्षा किसी भी केन्द्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अवैध फसल को नष्ट करने के अभियान में देगी। खेतों के स्तर पर जहां तक संभव हो केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच संयुक्त अभियान अवैध अफीम पोस्त एवं कैनाबीस खेती की पहचान करने व नष्ट करने के लिए चलाए जाएंगे।

वैकल्पिक विकास

29. अवैध रुप से अफीम पोस्त की पारंपरिक रुप खेती करने वाले किसानों को इससे दूर रखने का तरीका वैकल्पिक विकास है तथा उनकी जीविका पूरी तरह से

इस पर ही निर्भर करती है। ऐसे स्थानों में मात्र कानून लागू करना तथा फसल को नष्ट करने से ही काम नही चलेगा। कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें जीविका के वैकल्पिक उपाय विकसित करने में सहायता की जानी चाहिए। स्वर्णिम त्रिभुज के कुछ देश जैसे लाओस व थाईलैंड में वैकल्पिक विकास के कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। तथा वैल्पिक विकास कार्यक्रमों के बड़ी निधियों को इस कार्य में लगाए जाने की आवश्कयता है क्योंकि स्थानीय जनता की पूर्ण जीविका इस पर ही निर्भर है। दूसरे यह स्थानीय जनता के जीवन के तरीके को बदलने से जुड़ा है तथा इसमें काफी समय लगता है। वैकल्पिक विकास कार्यक्रम को लागू करना है तथा लंबे समय के लिए लगातार पैसा लगाने की आवश्यकता होगी।

30. वैकल्पिक विकास के औचित्य को सिद्ध करने के लिए दो मुख्य पूर्व आवश्यकताएं है:-

(i) कृषक का जीविका के लिए अवैध खेती पर निर्भर होना चाहिए; तथा (ii) यह पारंपरिक रीति होनी चाहिए तथा किसान जीवित रहने के किसी और तरीके को न जानते हो। यदि ये दो परिप्रेक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाता है, तो वैकल्पिक विकास कार्यक्रम सरकार के लिए प्रति उत्पादक हो जाएंगे जो उन क्षेत्रों को जहां कृषकों ने अवैध खेती बड़े व शीघ्र फायदे के लिए करनी शुरु कर दी है।
बदले में यह दूसरे क्षेत्रों एवं समुदायों तथा उनके नेताओं के लिए अवैध कृषि कार्य आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है ताकि 'अवैध कृषि कार्य क्षेत्र का दर्जा' प्राप्त हो सके तथा उन्हें अपने क्षेत्र के लिए अधिक निधि प्राप्त हो सके । भारत में कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स को छोड़कर अफीम पोस्त अथवा केनवीस की खेती की परम्परा नहीं है न ही स्थानीय समुदाय इस पर पूरी तरह निर्भर हैं । प्राय: अवैध खेती धन अर्जित करने का सहज उपाय है।

31. वैकल्पिक विकास से संबंधित हमारी नीति निम्न प्रकार है :

(क) अवैध खेती का मुकाबला करने का मुख्य उपाय खेती को नष्ट करना है तथा अपराधियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा देना ।
(ख) यदि ऐसे पॉकेट्स हैं, जहां अवैध खेती की लंबी परम्परा रही है तथा इस पर स्थानीय समुदाय की आजीविका पूरी तरह निर्भर है तो ऐसे क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद केन्द्र सरकार (राजस्व विभाग) एनसीबी

तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से चिह्नित किया जा सकता है ।

(ग) एक बार जब इन क्षेत्रों को एक राज्य में चिह्नित कर लिया जाता है, जैसा ऊपर (ख) में वर्णित है, तो फिर सूची में किसी नये क्षेत्र को जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि नया क्षेत्र तुरंत परम्परागत अवैध कृषि क्षेत्र नहीं बन सकता ।

(घ) ऊपर (ख) में चिह्नित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम का आरंभ समुचित विचार के पश्चात किया जाता है और जब एक बार किसी एक क्षेत्र में कार्यक्रम आरंभ हो जाता है तो यह तब तक जारी रहता है जब तक कि संपूर्ण जनसंख्या अवैध खेती से पूरी तरह विमुक्त नहीं हो जाती।

(ङ) कोई भी वैकल्पिक विकास कार्यक्रम एनसीबी द्वारा समन्वित किया जाएगा।

भांग के पौधे की अपोषित वृद्धि

32. हमारे देश के कई भागों में तथा विश्व में भांग का पौधा जंगली रूप से विकसित होता है । पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ठंडी जलवायु होती है, भांग की वृद्धि तेजी से होती है । भांग की अपोषित वृद्धि को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नष्ट किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है । जंगली रूप से विकसित भांग के पौधे के उपयोग की अनुमति केवल इसकी पत्तियों द्वारा भांग के उत्पादन को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी जैसा कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है ।

एनडीपीएस का वैध निर्माण, व्यापार तथा चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उपयोग

नारकोटिक्स ड्रग्स का निर्माण

33. स्वापक द्रव्य दो प्रकार के होते हैं - प्राकृतिक एवं कृत्रिम । प्राकृतिक स्वापक चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण उपयोग में आते हैं जैसे कि मार्फिन, कोडिन एवं थिबैन जिनका उत्पादन अफीम से होता है । कृत्रिम स्वापक पदार्थों का निर्माण फैक्टरियों में होता है जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में प्लांट प्रॉडक्ट की आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार प्राकृतिक स्वापक द्रव्य का निर्माण परोक्ष रूप से अफीम की मांग को प्रभावित करता है तथा उस क्षेत्र को भी जहां किसानों को

अफीम की खेती करने की अनुमति दी जाती है । अतएव प्राकृतिक स्वापक द्रव्यों के उत्पादन स्तर मे अकस्मात परिवर्तन से बचना चाहिए ताकि किसानों को कम से कम कठिनाई हो । भारत उन कुछेक देशों में से एक है जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से अफीम की खेती करने की अनुमति प्राप्त है तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्रमिक संकल्प ये मांग करते हैं कि भारत (तथा अन्य उत्पादक देश) मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखें । इस प्रकार एक तरफ भारत दूसरे अफीम उत्पादक देशों के साथ यह सुनिश्चित करने का दायित्व वहन करता हे कि विश्व में अफीम की आपूर्ति में कोई कमी न हो तो दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व है कि अफीम का अधिकाधिक संचय न हो ।

34. नियंत्रण की सीमा तक स्वापक द्रव्यों के निर्माण एवं उपयोग, उनकी तैयारियां एवं लवण से संदर्भित नीति का विवरण इस प्रकार है :-

(क) प्राईवेट सैक्टर सहित देश में अफीम के अल्कालॉयड्स का निर्माण अत्यधिक कार्यकुशल एवं प्रभावी रूप से किया जाएगा ।

(ख) देश के भीतर अधिकतम संभव मूल्य वृद्धि का संवर्द्धन अल्कालायड्स द्वारा औषध निर्माण अन्य मूल्य वर्द्धित स्वापकों के निर्माण में अल्कालायड्स का उपभोग एवं अन्य उपायों के माध्यम से किया जाएगा और उस सीमा तक किया जाएगा जिससे जनहित की आवश्यकता पूरी हो तथा अंतरराष्ट्रीय संधि, कनभेनसन एवं प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत की जरूरतों के अनुरूप हो।

(ग) अफीम, पोस्त की खेती करने वालों की कुल आय को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(घ) भारत एवं विश्व में अफीम मिश्रित औषध उसकी व्युत्पत्ति एवं निर्माण के मांग को पूरा करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा ।

(ङ) अफीम मिश्रित औषध के उत्पादन एवं व्यापार को कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ताकि इसके अन्य रूपों में प्रयोग की आशंका को कम किया जा सके ।

35. नियंत्रण की सीमा तक कृत्रिम स्वापक द्रव्यों, उनके लवण एवं निर्माणों के उत्पादन से संबंधित लाइसेंस स्वापक आयुक्त द्वारा दिया जाएगा बशर्ते कि वर्ष के लिए प्रत्येक ऐसे स्वापक के अनुमान को आईएनसीबी ने अनुमोदित कर दिया है ।

36. भारत औषध द्रव्यों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है अतएव इसकी यह जिम्मेदारी है कि विश्व में स्वापक द्रव्यों के चिकित्सीय आपूर्ति हेतु योगदान दे । आईएनसीबी के विनियमों के अधीन स्वापक द्रव्यों का निर्माण तथा उनका निर्यात और उनकी तैयारी को जहां तक संभव हो, प्रोत्साहित किया जाएगा ।

मन:प्रभावी पदार्थों का निर्माण

37. मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण हेतु लाईसेंस राज्यों में ड्रग कंट्रोल के प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दिया जाएगा (कुछ राज्यों में इन्हें फूड एंड ड्रग अथारिटी (एफडीए) कहा जाता है जबकि कुछ राज्यों इन्हें स्टेट ड्रग कंट्रोलर कहा जाता है) । लाईसेंस देने वाले प्राधिकारी जारी किए गए लाईसेंस का एक रिकार्ड रखेंगे तथा मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण व्यापार, उपभोग आदि के संबंध में रिकार्ड रखेंगे । सरकार इस बारे में विचार करेगी कि मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माताओं के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में ऑन लाइन रजिस्टर एवं रिटर्न प्रेषित करना अनिवार्य होगा ।

स्वापक द्रव्यों के आईएनसीबी अनुमोदित आकलनों का वितरण

38. सिंगल कनवेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 इस बात की मांग करता है कि देश में स्वापक द्रव्यों का उपयोग एवं उपभोग आईएनसीबी द्वारा अनुमोदित आकलनों के अनुसार सीमित होनी चाहिए । विभिन्न स्वापक द्रव्यों के लिए आईएनसीबी अनुमोदित आकलनों का वितरण स्वापक आयुक्त द्वारा यूजर्स को कोटा के रूप में किया जाएगा जो अगले वर्ष की अनुमानित मांग के संबंध में सूचना संग्रहीत एवं समेकित करेगा तथा विगत वर्ष के दौरान कितनी मात्रा खपत हुई इसका भी विवरण रखेगा ।

स्वापक द्रव्यों का व्यापार

39. चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्टरीज, नई दिल्ली इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत में उपयोगकर्ताओं को मार्फीन, कोडीन, थिबेन और उनके लवणों की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति होती रहे। विशेष रूप से कोडीन फॉस्फेट की जिसका घरेलू उत्पादन में जरूरत से ज्यादा मात्रा की खपत होती है । देश के भीतर संभावित मांग एवं अनुमानित उत्पादन का मूल्यांकन वर्ष के आरंभ होने के पूर्व किया

जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि मांग आपूर्ति में जो कमी आ रही है उसको निर्यात के द्वारा पूरा किया जाएगा ।

40. स्वापक द्रव्यों की बिक्री, परिवहन, उपयोग एवं उपभोग को राज्य सरकारों द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत बनाए गए एनडीपीएस नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है । अनेक राज्यों में अधिकाधिक विनियम और जटिल कार्यविधि चिकित्सकों को स्वापक द्रव्यों जैसे मार्फीन आदि देने के लिए अनुत्साहित करते हैं और दवा बिक्रेताओं को भी उनका स्टॉक रखने के लिए अनुत्साहित करते हैं । मार्फीन जोकि अफीम की व्युत्पत्ति है, को एक उत्तम पीड़ा निरोधक के रूप में जाना जाता है ओर जो अकेले ही बेहद कठिन दर्द से राहत दिला सकता है, ऐसा दर्द जो कि बेहद बीमारग्रस्त कैन्सर रोगी अथवा बन्दूक से घायल व्यक्ति को होता है । इन कार्यविधियों के परिणामस्वरूप मार्फीन का चिकित्सा संबंधी उपयोग बहुत कम है और इसी के परिणामस्वरूप भारत में हजारों रोगी परिहार्य दर्द से पीड़ित रहते हैं। भारत में जो ह्यूमिनिटी का एक छठा भाग है मार्फीन का एक हजारवां भाग उपयोग करता है। मार्फीन एवं अन्य ऑपियोड्स के उपयोग से संबंधित कार्यविधि को सरल बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी उपाय किए जाएंगे तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डाक्टरों और दवा बिक्रेताओं को इनकी तैयारियों को प्रेस्क्राइव करने और स्टॉक रखने के संबंध में जानकारी देगा । अंडर ग्रेजुएट मैडिकल छात्रों के पाठ्यक्रम में पेलियेटिव केयर पर एक कोर्स शामिल करने पर विचार किया जाएगा । राज्य सरकारों द्वारा पेलियेटिव केयर सेंटर की स्थापना तथा / अथवा मान्यता दी जाएगी जहां पर रोगियों को पेलियेटिव केयर उपलब्ध कराया जाएगा । प्रत्येक जिले में कम से कम दो ऐसे पेलियेटिव केयर सेंटर होने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा कार्यविधि स्थापित की जाएगी ताकि इन केन्द्रों में मार्फीन एवं अन्य ऑपियोड्स की पर्याप्त मात्रा में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके । इस संबंध में डब्लयू एच ओ की दिशा-निद्रैशों का अध्ययन किया जाएगा और इन्हें हर संभव रूप से अपनाया जाएगा ताकि पेलियेटिव केयर तथा पीड़ा राहत के लिए ऑपियोड्स की उपलब्धता की जरूरत एवं उनके गलत प्रयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाया जा सके ।

मन:प्रभावी द्रव्यों का व्यापार एवं उपयोग

41. स्वापक द्रव्यों को रखने उनके परिवहन, व्यापार, उपयोग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अनुसार विनियमित किया जाएगा । एनडीपीएस नियम तथापि कम से कम नियंत्रण की व्यवस्था रखते हैं और यह मांग करते हैं

कि ऑपरेटरों द्वारा ड्रग्स एंड कौस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के तहत विनियमों का अनुपालन किया जाए । इस प्रकार स्वापक द्रव्यों के उपयोग के संबंध में आंकड़ा का संग्रहण तथा उनकी मानीटरिंग करना एक समस्या है । भारत सरकार इस संबंध में जहां तक संभव हो स्वापक द्रव्यों के निर्माण, व्यापार एवं उपयोग को विनियमित करने के लिए गैर अतिक्रमी प्रणाली को लागू करेगी । सरकार स्वापक द्रव्यों के व्यापारियों के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में ऑन लाइन रजिस्टर और रिटर्न प्रेषित करना अनिवार्य करने पर विचार करेगी।

अवैध निर्माण एवं अवैध तस्करी

स्वापकों का अवैध निर्माण

42. कृत्रिम एवं अर्द्ध कृत्रिम स्वापक पूरे विश्व में कैलेन्डस्टाइन लेबोरेटरीज (जिन्हें सामान्यत: क्लैन लैब्स के रूप में जाना जाता है) में अवैध रूप से निर्मित किए जाते हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है । तथापि, इनके द्वारा निर्मित क्लैन लैब का प्रकार और स्वापक का प्रकार स्थान दर स्थान भिन्न होता है । परंपरागत रूप से कैलेन्डस्टाइन लेबोरेटरी भारत में दो प्रकार के हैं - लघु सामयिक सुविधाएं जो अफीम को हेरोइन में बदलने की प्रक्रिया करते हैं और दूसरा बृहत औद्योगिक स्तर सुविधायें जो मैथाकूलोन का निर्माण करती हैं ।

43. हाल के दिनों में भारत में जो दृश्यवस्तु सामने आ रही है वह है क्लैन लैब्स मैन्युफैक्चरिंग एमफैटामाइन्स । जबकि एमफैटामाइन्स लैब्स की संख्या मुख्य उपभोक्ता देशों की तुलना में बहुत कम है फिर भी यह क्लैन लैब्स जो पूर्वगामी जैसे कि ऐफैड्रिन तथा सिडोफैड्रिन के रूप में खतरा पैदा करते हैं, देशों में प्रचुर मात्रा में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं व्यापार किया जाता है । ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जहां पर ऐफैड्रिनयुक्त औषधीय निर्माण को घरेलू वितरण चैनल से अलग कर दिया गया और ऐफैड्रिन के निस्सारण को एटीएस के अवैध निर्माण से अलग कर दिया गया । 'एफैड्रा बलगरीज' युक्त ग्रीन टी सार के कुछ प्रेषणों को जब्त किया गया और विदेशों में रोका गया क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन तथा साउथ अमेरिका के कुछ देशों में लागू विनियम ऐफैड्रा निर्माण के उपयोग की अनुमति नहीं देते हैं जिसमें एफैड्रिन की लघु मात्रा पाई गई है । इन्हें अवैध व्यापार से अलग किया जा सकता है और भारत एवं भारत के बाहर दोनों जगह इसकी अवैध तस्करी के लिए एमफैटामाइन्स में परिवर्तित किया जा सकता है ।

44. अवैध निर्माण का मुकाबला केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुचित उपायों द्वारा की जाएगी जो इस प्रकार हैं :

(i) केन्द्र सरकार निम्नलिखित समुचित उपाय करेगी :

(क) विशिष्ट एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज जैसे कि एनसीबी, सीबीएन तथा डीजीआरआई में प्रवर्तन अधिकारियों के समूह को विकसित करना और प्रशिक्षण देना ताकि कानूनी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा क्लैन लैब को ध्वस्त किया जा सके ।

(ख) अफीम, पोस्त के अवैध उत्पादन तथा पूर्वगामियों के निर्माण एवं व्यापार पर कड़ी निगरानी रखना ताकि विचलन को रोका जा सके ।

(ग) देश में अफीम पोस्त के अवैध उत्पादन का पता लगाना और इसे नष्ट करना ।

(घ) विशिष्ट एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज जैसे कि एनसीबी, सीबीएन तथा डीजीआरआई को मजबूत करना ।

(ii) जहां जरूरत हो राज्य सरकारें जिला स्तर पर सेल अथवा स्क्वाड का गठन करेगी जिसमें पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे जो अफीम पोस्त की अवैध खेती, अफीम का अवैध उत्पादन, क्लैन लैब में स्वापक का अवैध निर्माण आदि के खिलाफ कार्रवाई कर सकें ।

वैध औषध रसायन का विचलन

45. वैध औषध निर्माण जिसमें स्वापक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ शामिल हैं, का गलत प्रयोग के लिए विचलन भारत में गंभीर समस्या है । स्वापक जैसे कि कोडीन, बूप्रीनौरफिन, डाइजपम तथा अल्प्राजोलम युक्त निर्माण का सामान्य रूप से गलत प्रयोग होता है । इस समस्या के समाधान में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे :

(क) उन औषण निर्माण के प्रकारों को नियमित रूप से मानीटरिंग करना जिनका विचलन, अवैध तस्करी एवं गलत प्रयोग होता है ।

(ख) रिस्क एनालाइसिस को संचालित करना तथा आयात और निर्यात प्रेषण की प्रोफाईलिंग।

(ग) ऐसे औषध निर्माणों पर नियंत्रण की समय-समय पर समीक्षा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें मजबूत करना इस बात को ध्यान में रखते हुए

कि गलत प्रयोग को रोकने तथा चिकित्सा हेतु पर्याप्त उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना है ।

(घ) ऐसे स्वापकों के उपयोगी लत के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए बुरी लत को रोकना।

वैध रूप से उत्पादित अफीम के विचलन को रोकने से संबंधित उपाय

46. यह सुनिश्चित करने के लिए वैध रूप से उत्पादित अफीम का कोई विचलन नहीं है । भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं और ये उपाय जारी रहेंगे :

(क) नियमित रूप से समीक्षा करना और मिनिमम क्वालीफाइंग इल्ड (एमक्यूवाई) को बढ़ाना जो किसान के लिए अगले वर्ष अफीमपोस्त की खेती करने संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु योग्य बनना पड़ता है तथा (एनसी) ।

(ख) अफीम उत्पादन क्षेत्र को क्रमिक रूप से समेकित करना और अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सके ।

(ग) निराधी उपायों को मजबूत करना और उन किसानों पर कानूनी कार्रवाई करना जो अफीम का विचलन करते पाए जाते हैं ।

वैध रूप से उत्पादित पूर्वगामी का विचलन

47. पुरोगामी वे रसायन है जो दवाओं के अवैध निर्माण के लिए आवश्यक हैं लेकिन जिनके अन्यथा कई वैध उपयोग भी होते हैं। चूंकि पुरोगामियों का उत्पादन मुश्किल होता है, अवैध नशीली दवाओं के निर्माता आमतौर पर उन्हें वैध उत्पादन और पुरोगामियों के व्यापार को पथांतरित करके प्राप्त करते हैं। भारत सहित बड़ी रासायनिक और दवा उद्योगों वाले देश पुरोगामियों के तस्करों के प्राकृतिक लक्ष्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने कतिपय पुरोगामी रसायनों को नियंत्रित पदार्थों के रूप में घोषित किया है। इन पदार्थों का विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, उपभोग और उपयोग नियंत्रित पदार्थ (एनडीपीएस) विनियमन आदेश के निबंधनों के तहत विनियमित है। 1993. (एनसी) प्राय: पुरोगामियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्यावर्तित किया जाता है। पथांतरण या उसके प्रयास को रोकने के उद्देश्य से, इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे:

क) पथांतरण रोकने तथा पुरोगामियों के वैध विनिर्माण, व्यापार तथा उपयोग के साथ हस्तक्षेप नहीं करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने के द्वारा पुरोगामी रसायनों के वैध विनिर्माण और व्यापार को विनियमित करना।

ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पथांतरण रोकने के लिए, जबकि वैध व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से निर्यात के साथ आयात और निर्यात का विनियमन।

ग) पथांतरण, पथांतरण का प्रयास और लदान के संदिग्ध नौप्रेषण की जाँच।

घ) पुरोगामी नियंत्रण में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करते हुए भारतीय व्यापार और उद्योग की रक्षा।

ङ) अन्य देशों के साथ पुरोगामी नियंत्रण में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करना और अन्य देशों के लिए अपने कानूनों, मानक संचालन प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने हर संभव सहायता प्रदान करना।

च) इस संबंध में स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1988 के प्रावधानों को लागू करना और यथा आवश्यकता सभी संभव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगना और देना।

दवाओं की तस्करी

48. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध दवा उत्पादन क्षेत्रों के बीच स्थित, भारत लंबे समय के लिए एक पारगमन देश रहा है। देश में और देश से बाहर दवाओं की तस्करी भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण के एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो गई है और इसलिए ध्यान देने का एक क्षेत्र हो जाएगा। तस्करी की समस्या को प्रभावी रूप से काबू में करने के लिए निम्नलिखित के लिए प्रयास किए जाएंगे:

क) भूमि सीमाओं, समुद्री सीमाओं और हवाई अड्डों पर तैनात कार्मिकों को संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण।

ख) पड़ोसी देशों के साथ तंत्र की स्थापना करने और लगातार सीमा पार सहयोग को मजबूत बनाने, और विशेष रूप में, इन चौकियों पर तैनात

भारतीय अधिकारियों और इन पड़ोसी देशों के समकक्षों के बीच आसूचना के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए तंत्र विकसित करना।

ग) स्वापक औषधिओं और मन:प्रभावी पदार्थों से युक्त उत्पादों की तस्करी समेत अवैध इंटरनेट फार्मेसियों के विकास को रोकना।

नशीली दवाओं के प्रमुख तस्कर

49. अवैध नशीली दवाओं के बाजार में प्रमुख नशीली दवाओं के तस्करों की कई परते होती हैं जो अवैध निर्माताओं / तस्करों और सड़क के विक्रेताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं जो वास्तव में नशेड़ियों को दवाएं बेचते हैं। उन्हें पकड़ना और अभियोग चलाना, नशीली दवाओं के नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। चूंकि वे बेहद संगठित और कुशल हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ठोस प्रयास और विशेष कौशल की आवश्यकता है।

50. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार कर और उन पर मुकदमा चला सकता है, यह विशेष रूप से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्वापक केंद्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व महानिदेशालय तथा विशेष स्वापक विरोधी प्रकोष्ठ जैसे दवा प्रवर्तन संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनका जो कुछ भी नाम हो, राज्य पुलिस और अन्य संगठनों में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करें, नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार करें, मामलों की जांच करें और अपराधियों पर मुकदमा चलाएं।

51. जहां कहीं आवश्यक हो, एनडीपीएस अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) में अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रयोग प्रमुख नशीली दवाओं के तस्करों के सुरक्षित निवारक निरोध के लिए किया जा सकता है। चूंकि वे बड़ी मात्रा में सौदा है, और तस्करी के माध्यम से काफी कमाते हैं, चिंतित संगठनों द्वारा उनकी संपत्ति की पहचान, जब्ती और फ्रीज करने के हर प्रयास किए जाएंगे और उनकी संपत्ति जब्त होने तक मामले की सख्ती से पैरवी की जाएगी।

52. सड़क के विक्रेता नशेड़ियों को दवाएं बेचते हैं और अक्सर एक समय में दवाओं की एक छोटी मात्रा रखते हैं। उनमें से कई खुद भी नशेड़ी होते हैं और दवाओं की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कमाने के लिए दवाएं बेचते हैं। निर्माता से नशेड़ियों के बीच की कड़ी में सड़क के विक्रेता अंतिम श्रृंखला होते हैं औरइसलिए उन्हें संभालने के लिए एक प्रभावी रणनीति आवश्यक है। उनकी संख्या बहुत अधिक है और वे देश भर में फैले हैं। विशेषीकृत प्रवर्तन एजेंसियों के पास अक्सर विक्रेताओं को संभालने के लिए जनशक्ति और संसाधन नहीं होते और इसलिए उन्हें संभालने का काम स्थानीय पुलिस के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। स्थानीय पुलिस के अपने समय पर कई प्रतिस्पर्धी मांगें होती हैं और विक्रेताओं को संभालना अक्सर उन मांगों में से एक नहीं होता तथा उनसे निपटने के लिए जनता से कोई दबाव नहीं होता। कुछ पुलिसवाले भी किसी विक्रता को जो खुद भी नशेड़ी है, गिरफ्तार करना सुविधाजनक नहीं पाते क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद उसे दवाओं की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है और पुलिसकर्मियों को नशेड़ियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता।

53. सड़क के विक्रेता नशेड़ी और तस्कर के बीच महत्वपूर्ण अंतिम लिंक होते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि दवा की समस्या से निपटने के लिए उन्हें शामिल किया जाए। इसलिए, विक्रेताओं से निपटने के लिए, ये कदम उठाए जाएंगे:

क) इस बारे में जागरूकता बढ़ाना कि सड़क विक्रेता समाज और अपने बच्चों को क्या संभावित नुकसान पहुंचा सकते हैं और विक्रेताओं के बारे में पुलिस में रिपोर्ट और उसकी पैरवी करना।

ख) गैर सरकारी संगठनों, आवासी कल्याण समाजों आदि को विक्रेताओं की रिपोर्ट करने तथा पुलिस से पैरवी करने में तेजी से शामिल करना।

ग) पुलिस को इस तथ्य से अवगत कराना कि सड़क विक्रेताओं से निपटना उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

घ) स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना तथा जो खुद नशेड़ी हैं उनके सहित विक्रेताओं से निपटने में उनकी क्षमता का निर्माण करना।

ङ) बड़े शहरों में, सारे शहर में क्षेत्राधिकार के साथ पुलिस के विशेष सचल, विक्रेता विरोधी दस्तों को विकसित करना और उसे एक हेल्पलाइन से जोड़ना।

स्कूली बच्चों को दवाओं की बिक्री

54. किशोरों साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं और अक्सर यह दिखाने के लिए नए काम करते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर, इसी उम्र में ज्यादातर नशेड़ी दवाओं का प्रयोग शुरू करते हैं। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 32ख में '*यह तथ्य कि अपराध किसी शैक्षणिक संस्थान या सामाजिक सेवा सुविधा या ऐसे संस्थानों या सुविधाओं के समीप या ऐसे स्थानों में किए जाते हैं , जहां स्कूल के बच्चे और विद्यार्थी शैक्षणिक, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियां करते हैं '* को एक चिंताजनक तथ्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा अपराध के लिए निर्धारित सामान्य दंड से अधिक दंड अधिरोपित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

55. स्कूल और कॉलेज के बच्चों को नशीली दवाएं बेचने की समस्या से निपटने के लिए:

क) स्थानीय पुलिस दवा विक्रेताओं से निपटने के अपने प्रयासों में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी।

ख) स्कूलों और कॉलेजों को उनके आसपास के क्षेत्र में विक्रेताओं को बाहर देखने और पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग) अपने छात्रों के बीच मादक पदार्थों की लत के स्तर का आकलन करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को सर्वेक्षण (संभवतः अनाम) का संचालन करने, और अगर आदी छात्रों को पहचाना जा सकता है, तो उनकी लत के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता खोजने के लिए उनके माता पिता या बच्चों से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

घ) केन्द्र और राज्य शिक्षा प्राधिकरणों को 10 और 10 +2 के छात्रों के पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी तथा स्वयं, समाज और देश पर इसके सामाजिक - आर्थिक लागत पर एक व्यापक और बाध्यकारी अध्याय शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ङ) अपनी संस्था और सदस्यों के बीच नशा मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को नशा-विरोधी क्लब का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

जेलों में दवाओं की तस्करी

56. कारागार सबसे अधिक सुरक्षित प्रांगण होते हैं। फिर भी, तस्कर उन में दवाओं की तस्करी का प्रबंध कर लेते हैं, और आमतौर पर, जेल आबादी के बीच लत का स्तर, आम जनता के बीच से बहुत अधिक होता है। भारत इसकाअपवाद नहीं है। दवाओं की लत से अपराध का जन्म होता है और अपराधी वापस जेलों में आते हैं और जेलों के भीतर दवाओं के लिए बाजार का विस्तार करते हैं। यदि इस दुष्चक्र को तोड़ना है, तो जेल परिसर के भीतर दवाओं की बिक्री को प्रभावी ढंग से रोकना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए:

क) जेल स्टाफ को दवाओं का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा तथा प्रशिक्षित किया जाएगा;

ख) जहां कहीं आवश्यक होगा, आगंतुकों और दवाओं के पैकेजों की जांच करने के लिए जेलों को खोजी कुत्तों से लैस किया जाएगा;

ग) जेल के भीतर सभी नशेड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा और दवा की लत छुड़ाने के लिए अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।

घ) जेल में हर नए प्रवेशी की लत के लिए परीक्षण किया जाएगा और अगर वह आदी पाया गया तो लत छुड़ायी जाएगी।

औषधि से संबंधित अपराध

57. ड्रग नशेड़ी अक्सर अपनी आदत बनाए रखने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। नशीली दवाओं और अपराध के बीच संबंध अब अच्छी तरह से जाना जाता है और दवाओं के आदी नशे के लिए हर साल कई अपराध कर सकते हैं। इस प्रकार, नशीली दवाओं की लत केवल अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि समाज में अपराध दर में वृद्धि के लिए एक पुरोगामी है। इसलिए, जेल आबादी के बीच मादक पदार्थों की लत लगभग हमेशा

समाज के सामान्य आबादी के बीच की लत की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यदि नशीली दवाओं और अपराध के बीच गठजोड़ टूट गया, तो अपराध दर में गिरावट की संभावना है। दवाओं से संबंधित अपराध की समस्या से निपटने के लिए कई तकनीकों इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे दवा कोर्ट, अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों की दवा के संभावित उपयोग के लिए अनिवार्य परीक्षण तथा दवाओं की आदी जेल की जनसंख्या की जांच और उपचार।

58. गिरफ्तारकर्ता एजेंसी द्वारा किसी गिरफ्तार को अदालत में पेश करने से पहले चिकित्सा परीक्षा का आयोजन, गिरफ्तार की जांच करने वाले डॉक्टर को दवा दुरूपयोग के किसी इतिहास या लक्षण को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। जहाँ भी गिरफ्तार व्यक्ति लत के लक्षण दिखाता है, पुलिस को उसे यह निर्धारित करने के लिए किसी चिकित्सक या अस्पताल ले जाना चाहिए कि वह नशेड़ी तो नहीं है, और यदि हां, तो उसके इलाज के लिए कदम उठाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि प्रत्येक जेल प्रतिष्ठान में कम से कम एक डॉक्टर राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित हो जिससे वह जेल के कैदियों की पहचान, उपचार और नशीली दवाओं की लत और निर्भरता की समस्याओं का प्रबंधन कर सके।

59. तथापि जेलों को चिकित्सा जांच के एक भाग के रूप में, दवाओं के संभावित उपयोग के लिए हर कैदी का परीक्षण करना चाहिए, और जो दवाओं के आदी हों उनका इलाज करना चाहिए जिससे दवाओं और अपराध के बीच के सांठगांठ को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सके।

नशीली दवाओं के नशेड़ियों का उपचार, पुनर्वास और सामाजिक आमेलन

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रकृति और हद

60. नशीली दवाओं की लत तेजी से चिंता का एक क्षेत्र बनती जा रही है क्योंकि पारंपरिक बंधन, प्रभावी सामाजिक निषेध, आत्मसंयम और व्यापक नियंत्रण पर बल तथा संयुक्त परिवार और समुदाय के व्यापक नियंत्रण और अनुशासन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ खोखले होते जा रहे हैं।

61. पारंपरिक और अर्द्ध सिंथेटिक तथा सिंथेटिक दोनों दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। दवा का अंतःशिरा उपयोग और इस तरह के प्रयोग से एचआईवी / एड्स का प्रसार इस समस्या को एक नया आयाम दे रहा है, विशेष रूप से देश के उत्तर - पूर्वी राज्यों में।

62. 2001 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। इसके तीन प्रमुख घटक हैं (i) राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण (ii) तीव्र आकलन सर्वेक्षण और (iii) नशीली दवाओं के दुरूपयोग की निगरानी प्रणाली, जिसने इलाज चाहने वालों के प्रोफ़ाइल का विश्लेषण किया था। ग्रामीण आबादी, जेल आबादी, महिलाओं, और सीमा क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर उप अध्ययन किया गया था। सर्वेक्षण और अध्ययन ने संकेत दिया है कि व्यावसायिक यौन कर्मियों, परिवहन कार्यकर्ताओं, और सड़क के बच्चे, सामान्य आबादी की तुलना में दवाओं की लत के अधिक से अधिक जोखिम में हैं।

63. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक नए सर्वेक्षण की तैयारी कर रहा है। देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से या अन्यथा, एक तंत्र की पहचान की जाएगी। इस तरह के सर्वेक्षण को हर पांच वर्ष में दोहराया जाएगा जिससे मादक पदार्थों के सेवन में परिवर्तन और प्रतिमान का अध्ययन किया जा सके तथा विभिन्न दवा की आपूर्ति और मांग में कमी के लिए किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

दवा की मांग में कमी

64. नशीली दवाओं का दुरुपयोग दो कारकों का परिणाम है - दवाओं की उपलब्धता और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्थितियां जिसका परिणाम उनका दुरूपयोग होता है। इसलिए आपूर्ति और मांग में कमी पर बराबर जोर दिया जाएगा। मांग में कमी के दो घटक हैं - दवा नशेड़ी का इलाज और समाज को शिक्षित तथा लत को रोकने हेतु सक्षम करना और नशेड़ी के इलाज के बाद उनका पुनर्वास करना। इस प्रकार, नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक मनोवैज्ञानिक - सामाजिक चिकित्सा समस्या है, जिसमें चिकित्सा हस्तक्षेप और समुदाय आधारित हस्तक्षेप दोनों की जरूरत है। इसलिए, मांग में कमी के लिए भारत सरकार की एक तीन आयामी रणनीति है:

i. *जागरूकता पैदा करना और मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।*

ii. *प्रेरक परामर्श, उपचार, अनुवर्ती और नशामुक्त हो चुके नशेड़ी के साथ सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से संव्यवहार करना।*

iii. *सेवा प्रदाताओं का एक शिक्षित काडर बनाने के लिए स्वयंसेवकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग / रोकथाम पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करना।*

उपरोक्त में, उपचार वह घटक है जो सीधे नशीली दवाओं की लत को लक्ष्य करता है। भारत की इस दिशा में दो आयामी रणनीति है - (क) सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्रों को चलाना; और (ख) इस प्रयास में शामिल गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करना। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 100 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के निषेध और सेवन की रोकथाम के लिए वर्ष 1985-86 से एक योजना कार्यांवित कर रहा है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 361 गैर - सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समर्थन करती है; जो 376 लत निवारक - सह - पुनर्वास केन्द्र, नशा मुक्ति शिविर, और 68 परामर्श और जागरूकता केन्द्र चला रहे हैं। भारत सरकार इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करती है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों या अपने स्वयं के संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई प्रेरक परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं तक आसान पहुँच हो। रोकथाम करने लत छुड़ाने, पुनर्वास और हानि कम करने से संबंधित सभी मुद्दों पर 'लत छुड़ाने और पुनर्वास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति का समुचित दखल होगा।

जागरूकता और निवारक शिक्षा

65. गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित परामर्श और जागरूकता केन्द्र, ग्राम पंचायतों स्कूलों, आदि के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी प्रिंट तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रसार माध्यम से लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करता है तथा सेवा परिदान के बारे में सूचनाओं का प्रसार करता है।

प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास - सेवा प्रदाताओं का विकास

66. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित औषधि पर निर्भरता राष्ट्रीय उपचार प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली नशेड़ियों के उपचार में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली के तहत, औषधि दुरूपयोग रोकथाम राष्ट्रीय

संस्थान (एनसी- डीएपी) गैर - सरकारी संगठनों के नशामुक्ति में काम करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

67. हाल के वर्षों में, निजी क्षेत्र में कई नशा मुक्ति केन्द्र आ गए हैं। केन्द्रीय सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के पालन लिए नीचे मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करेगी और ऐसे केंद्रों की पहचान करेगी जो इन मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। इस प्रकार पहचाने गए केंद्र एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64क के तहत 'मान्यताप्राप्त उपचार केन्द्र' होंगे।

नुकसान में कटौती

68. दुरुपयोग के ड्रग्स सूंघकर, धूम्रपान करके मौखिक रूप से भस्म या इंजेक्शन के रूप में लिए जाते हैं। इंजेक्शन से नशा करने वाले (आईयूडी) अक्सर सुइयों और सिरिंजों को शेयर करते हैं और उनके माध्यम से संक्रमण फैलते हैं। यदि नशेड़ी के समूह का कोई सदस्य एचआईवी पॉजिटिव है, तो सुइयों और सिरिंजों के माध्यम से दूसरों में संक्रमण फैलता है। इसलिए आईयूडी खुद को दो मायनों में नुकसान पहुंचाते हैं - दवा की वजह से और संक्रमण की वजह से। हार्ड कोर आईयूडी अलग रहते हैं और अपना सामान्य जीवन नहीं जीते। कई अन्य आईयूडी सामान्य जीवन से पूरी तरह से कटे नहीं होते और यौन सक्रिय जीवन जीते हैं। इस तरह के आईयूडी इंजेक्शन दवा और सामान्य आबादी के बीच पुल का निर्माण करते हैं तथा अपने गैर - दवा उपयोगी यौन साझेदारों में अपने माध्यम से एचआईवी पहुंचाते हैं। इस प्रकार, दवा के प्रभाव के विपरीत, दवा संचालित एचआईवी दवा उपयोग से परे की आबादी में फैलता है और उन्हें हानि पहुँचाता है।

69. आईयूडी से कैसे निपटें इसके बारे में दो विचारधाराएं हैं -एक है जो "केवल संयम" दृष्टिकोण में विश्वास करता है और दूसरा जो "नुकसान में कमी" दृष्टिकोण की वकालत करता है। जो लोग "केवल संयम" दृष्टिकोण की वकालत करते हैं उनका मानना है कि अगर किसी आईयूडी को संक्रमण से बचाया जाना चाहिए, तो उसे नशामुक्त करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके विपरीत, 'नुकसान कम करने' के दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि अगर आईयूडी को नशामुक्त नहीं किया जा सकता, तो कम से कम दवाओं के सुरक्षित दुरुपयोग में उसकी मदद करके उसे संक्रमण से बचाया जा सकता है। दोनों विचारधाराओं के मजबूत

हिमायती हैं और यहां तक कि तमान देश भी दो दृष्टिकोणों के बीच विभाजित हैं। नुकसान कम करने की कई तकनीकें हैं, जैसे :

i) शूटिंग दीर्घाओं की स्थापना जहां नशेड़ी को स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों तथा अच्छी गुणवत्ता की दवा उपलब्ध करायी जाती है ताकि वह संक्रमित सुइयों और सिरिंजों या अशुद्ध दवा के प्रभाव के डर के बिना बैठकर इंजेक्ट कर सके।

ii) नशेड़ी को हेरोइन का इंजेक्शन लगाने के बजाय धूम्रपान के लिए प्रोत्साहित करना।

iii) सुई सिरिंज विनिमय कार्यक्रम जिसमें नशेड़ी को इंजेक्ट करने के लिए स्वच्छ सुइयां और सिरिंज प्रदान की जाती हैं लेकिन ड्रग्स नहीं;

iv) मौखिक प्रतिस्थापन जिसमें आईयूडी को बूप्रेनार्फिन या मेथाडोन की आपूर्ति की जाती है और उन्हें हेरोइन या अन्य दवाओं के इंजेक्शन के बजाय मौखिक रूप से दुरुपयोग के लिए राजी किया जाता है।

70. हमारी नीति की अनुमति केवल उपर्युक्त (iii) और (iv) के लिए होगी लेकिन (i) और (ii) के लिए नहीं। इंजेक्शन दवा उपयोगकर्ताओं की, जहाँ तक संभव हो सके, दवाओं की आदत छुड़ायी जाएगी, उन्हें दवाओं के सुरक्षित दुरूपयोग द्वारा अपनी आदत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। हालांकि, नशेड़ी हमेशा नशा मुक्ति के लिए आगे नहीं आते। इसलिए, अगर सख्त 'केवल संयम' दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है, तो नशेड़ियों की एक बड़ी संख्या नशेड़ी जनसंख्या को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से बाहर रह जाती है। हार्ड कोर इंजेक्शन से नशा करने वाले, मौखिक प्रतिस्थापन या शूट करने के लिए स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों के उपयोग की तुलना में नशामुक्त होने के लिए कम इच्छुक होंगे। दूसरी ओर, यदि मौखिक खपत के ड्रग या ड्रग सामग्री (जैसे सीरिंज) की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से वितरण किया जाएगा, तो इसे एक सरकारी मंजूरी और नशीली दवाओं की लत को संरक्षण के रूप में देखा जाएगा और इससे नशीली दवाओं की लत को बढ़ावा मिल सकता है। यदि किसी भी गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति को 'नुकसान कम करने' को बढ़ावा देने की अनुमति है, तो वहाँ एक बड़ा जोखिम यह होगा कि उसका इस्तेमाल वास्तव में दवाओं को आगे बढ़ाने या उन्हें

बढ़ावा देने के कवर के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, नुकसान कम करने की अनुमति केवल नशामुक्ति की दिशा में एक कदम के रूप में दी जाएगी, और अन्यथा नहीं। इसके अलावा, इसकी कवायद केवल केंद्र या संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित, समर्थित या मान्यता प्राप्त केन्द्रों द्वारा ही की जानी चाहिए।

71. कई जेलों में नशीली दवाओं का इंजेक्शन से प्रयोग भी एक समस्या है। कुछ लोग जेल सेटिंग्स में भी नुकसान में कमी के तरीकों की हिमायत करते हैं। हालांकि, यह विचार कि जेल सेटिंग्स पूरी तरह से विनियमित हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि कैदियों को, जो दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग करते हैं, उन्हें स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों या मौखिक विकल्पों का लाभ दिया जाएगा जिससे वे अपनी लत बनाए रखें और सुरक्षित रूप से दवाओं का दुरुपयोग करें। इसलिए, जेलों के कैदियों के बीच के आईयूडी को अनिवार्य रूप से नशामुक्त किया जाएगा और उन्हें साफ सुइयों और सिरिंजों की आपूर्ति नहीं की जाएगी और दवाएं इंजेक्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें भी दुरुपयोग के लिए मौखिक बूप्रेनार्फिन या मेथाडोन विकल्पों की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

72. मौखिक प्रतिस्थापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की पसंद के बारे में विशेषज्ञों के बीच जनमत विभाजित है। जबकि कुछ लोग बूप्रेनार्फिन पसंद करते हैं दूसरों की पसंद मेथाडोन है। इस प्रकार, उचित नीति उन दवाओं के प्रयोग का संवर्धन होगा जो नशेड़ी से तेजी से दवा छुड़ा सकती हैं जबकि उन दवाओं को हतोत्साहित भी करे जिसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। राजस्व विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा यह जांच करने के लिए कि इस सिद्धांत पर आधारित मौखिक प्रतिस्थापन के लिए किन दवाओं अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मौखिक प्रतिस्थापन के लिए एक से अधिक दवा की अनुमति दी जाती है, तो डॉक्टर या केंद्र तय करेगा कि किसी मामले में उपयोग के लिए कौन सी दवा दी जानी है।

73. उपर्युक्त के संदर्भ में, नुकसान कम करने की दिशा में दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा:

क) इंजेक्शन से नशा करने वालों (आईयूडी) सहित ड्रग नशेड़ी की पहचान और इलाज किया जाएगा तथा दवा का उपयोग करने की उनकी आदत का समर्थन नहीं किया जाएगा।

ख) फिर भी, उन मामलों में जहां यह किसी आईयूडी को नशामुक्ति के लिए मनाना संभव नहीं है, पहले कदम के रूप में, उसे स्वच्छ सुइयां और सिरिंज या मौखिक प्रतिस्थापन उपलब्ध कराया जा सकता है।

ग) उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट नुकसान कम करने की तकनीकों का अभ्यास केवल केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या समर्थित या मान्यता प्राप्त अस्पतालों या केन्द्रों के द्वारा किया जा सकता है।

घ) अगर उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट के अलावा किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा नशेड़ियों को सुइयों और सिरिंजों या मौखिक उपभोग के लिए या दवाओं का वितरण किया जाता है, तो इसे औषधि की खपत को बढ़ावा देने के रूप में माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति या संगठन के साथ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनुसार बर्ताव किया जाएगा।

उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट केन्द्रों को जो 'नुकसान कम करने' को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रत्येक नशेड़ी का रिकॉर्ड को बनाए रखने और उन्हें जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर लेकिन किसी भी मामले में कोई दो साल के बाद नहीं, नशा मुक्त करेंगे।

आँकड़ों का संग्रहण

74. नशीली दवाओं के नियंत्रण के क्षेत्र में, आंकड़े महत्वपूर्ण हैं:

क) वैध विनिर्माण, व्यापार, आयात, निर्यात, उपयोग खपत, और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के स्टाक पर नजर रखने के लिए ;

ख) अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन, नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रदर्शन की हद का आकलन करने के लिए ;

ग) नशीली दवाओं की लत पर आधारभूत डेटा इकट्ठा करने के लिए और विभिन्न दवा की मांग में कमी हस्तक्षेप के प्रभाव की निगरानी के लिए;

घ) एक आधार के रूप में सेवा करने के लिए नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान बनाने और इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, और

ङ) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रस्तावों के तहत भारत के रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए।

वर्तमान स्थिति

75. जहां तक दवा प्रवर्तन कानून का संबंध है, स्वापक कंट्रोल ब्यूरो (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) विभिन्न राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बरामदगी आदि पर आँकड़े का संकलन तथा हर महीने राष्ट्रीय औषध प्रवर्तन सांख्यिकी (एनडीईएस) संकलन कर रहा है। ये आँकड़े दवा कानून प्रवर्तन के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के तुलनात्मक प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

76. दवा की मांग में कमी पक्ष में, वहाँ नियमित रूप से नशीली दवाओं के सेवन की निगरानी प्रणाली (डीएएमएस) के अलावा कोई समान तंत्र नहीं है, जो इलाज चाहने वाले ऐसे लोगों की प्रोफाइल दर्शाए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित दवा नशा मुक्ति केन्द्रों पर जाते हैं। 2001 में नशीली दवाओं की लत का एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित किया गया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शीघ्र ही एक और सर्वेक्षण के संचालन का प्रस्ताव किया है। हालांकि ये सर्वेक्षण काफी व्यापक हैं, वे अकेले प्रयास हैं और ऐसे तंत्र नहीं हैं जिसके माध्यम से नशीली दवाओं की लत के स्तर पर नियमित रूप से नजर रखी जा सके।

77. जहाँ तक वैध व्यापार की निगरानी संबंध है, आँकड़े संकलित किए जाते हैं और ऐसी गतिविधियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं जिनक स्वापक आयुक्त द्वारा केंद्रीय रूप से निगरानी की जाती है। इनमें मादक दवाओं, मादक पदार्थ, पुरोगामियों और सिंथेटिक नशीली दवाओं के निर्माण के आयात

और निर्यात शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों के बारे में भी सांख्यिकी उपलब्ध हैं जहाँ कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा अफीम को सुखाने, अफीम से क्षारोध का निर्माण तथा मादक दवाओं के आयात एकांतिक रूप से संचालित किया जाता है। स्वापक आयुक्त द्वारा प्रयोक्ताओं के बीच नशीली दवाओं के अनुमान के वितरण की प्रणाली की शुरूआत की मंजूरी के साथ, स्वापक आयुक्त के पास स्वापक औषधियों के अनुमान और खपत के संबंधित सभी डेटा उपलब्ध हो जाएगा। पुरोगामियों के घरेलू व्यापार की निगरानी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा की जाती है जो इस प्रकार, सभी आवश्यक आँकड़े रखते हैं। हालांकि, इन सभी आँकड़ों के संकलन लिए अभी तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाना है।

78. स्वापक औषधियों की खपत के साथ विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, स्टॉक, और मन:प्रभावी पदार्थों की खपत के संबंध में सांख्यिकी का संग्रहण एनडीपीएस नियमों के तहत नहीं किया जाता। इन्हें राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त करना होता है और इस संबंध में आंकड़ों के संग्रह के हमारे तंत्र में सुधार की जरूरत है।

कार्रवाई की भावी दिशा

क. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दवा कानून प्रवर्तन पर आँकड़ों के संग्रह के लिए तंत्र को बनाए रखने तथा और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

ख. स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामियों के वैध विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, खपत, और स्टॉक पर आँकड़ों के संग्रह के तंत्र को और मजबूत तथा कारगर बनाया जाएगा।

ग. नियमित रूप से देश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन पर आँकड़े और इकट्ठा करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने के मापदंड के रूप में इस तरह के आँकड़े का उपयोग के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

अध्ययन और अनुसंधान

79. नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए अनुसंधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो देश में अभी तक समुचित ध्यानाकर्षण प्राप्त नहीं कर पाया है। सरकारी एजेंसियों और सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान का संचालन करने के लिए सहायता की जाएगी:

क. देश में अवैध नशीली दवाओं के बाजार

ख. देश में वैध उत्पादन से प्रत्यावर्तन

ग. आंदोलन और नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त पैसे का उपयोग

घ. उपचार के तरीके, पुनर्वास, पुन: पतन, लत की दर पर नुकसान कम करने का प्रभाव, आदि

ङ. दवाओं और पुरोगामियों के लिए अशुद्धता की रूपरेखा के रूप में उन्नत तकनीक सहित प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रियाएं।

च. एनडीपीएस शामिल साइबर अपराधों को रोकने के तरीके।

प्रशिक्षण

80. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं के नियंत्रण पर नीति के की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वर्तमान में, पूरे भारत में सीमाशुल्क और पुलिस अकादमियां और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दवा कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईएसएफएस) दवाओं के परीक्षण में केमिस्टों को प्रशिक्षण देता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का औषधि पर निर्भरता राष्ट्रीय उपचार प्रशिक्षण केन्द्र, नशेड़ियों के उपचार में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्थान का औषधि दुरूपयोग रोकथाम राष्ट्रीय संस्थान (एनसीडीएपी) गैर - सरकारी संगठनों के उपचार और पुनर्वास में काम करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

81. प्रत्येक के लिए एक नोडल प्रशिक्षण केंद्र की पहचान की जाएगी (क) दवा कानून प्रवर्तन; (ख) परीक्षण और दवाओं की पहचान, (ग) नशेड़ी का उपचार; और (घ) निवारक शिक्षा और पुनर्वास तथा नशेड़ियों के सामाजिक आमेलन पर काम कर रहे कार्मिक। इस प्रकार पहचाना गया नोडल प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित काम करेगा:

क) प्रशिक्षुओं के विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य तैयार करना;

ख) विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करना;

ग) प्रिंट और ई - स्वरूपों में प्रशिक्षण दोनों में सामग्री तैयार करना;

घ) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) संचालित करना, जहां आवश्यक हो;

ङ) नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन;

च) नियमावली और हैंडबुक का विकास जिसे वास्तव में क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है;

छ) एक उचित रूप में सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन करना और उन्हें अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ विनिमय करना, इस प्रकार भारत के अनुभव का प्रदर्शन करना और दूसरों के अनुभवों से सीखना; और

ज) अन्य देशों से प्राप्त समेत सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियों, तस्करों द्वारा प्रयुक्त *काम के तरीकों* आदि का फील्ड के अधिकारियों में प्रसार करना जो उन्हें इस्तेमाल कर सकें।

प्रयोगशालाएं

82. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को इसे लागू में सशक्त बनाने में सक्षम करके प्रवर्तन के नेटवर्क को व्यापक बनाता है। इसलिए, हमारे पास देश में दवाओं को जब्त करने वाली एजेंसियों की एक बड़ी संख्या है। हालांकि देश में बरामदगी की कुल

संख्या (प्रति वर्ष लगभग 20,000) देश के आकार और जनसंख्या की तुलना में बहुत बड़ी नहीं है, ये बरामदगियां देश के कई भागों में कई एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। देश में कई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं इन नमूनों का परीक्षण करती हैं। ये केन्द्रीय राजस्व रासायनिक प्रयोगशाला (सीआरसीएल), केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और प्रत्येक राज्य के राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाएं (एफएसएल) हैं। अपराधियों का सफल अभियोजन, परीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता पर टिका होता है। प्रत्येक जब्त नमूनों का जल्दी से, ठीक और सही रूप में परीक्षण किया जाता है, क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट ही अभियुक्तों के अभियोजन का आधार होती है। दूसरी ओर, यदि पदार्थ जब्त दवा नहीं है, तो एक त्वरित और सटीक रिपोर्ट में उनको निर्दोष साबित करने में मदद करती है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

83. भारत सरकार लगातार देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे कर्मियों की क्षमता का निर्माण और उनके उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार करेगा जिससे कम से कम संभव समय में सटीक और सही परीक्षण की रिपोर्ट मिल सके जो कानूनी जांच - पड़ताल में टिक सके।

84. ऊपर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक नोडल राष्ट्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की पहचान की जाएगी जो प्राप्त नमूनों के परीक्षण के अलावा, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

क. प्रत्येक स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ एवं पुरोगामी के मानक परीक्षण प्रोटोकॉल का विकास / दस्तावेजीकरण / और किसी भी अन्य संबंधित परीक्षणों के लिए।

ख.के उपभोग की पुष्टि के लिए रक्त, मूत्र, आदि के नमूने परीक्षण के लिए मानक तरीकों का विकास / दस्तावेजीकरण / निर्धारण।

ग. अशुद्धता की रूपरेखा जैसे उन्नत फोरेंसिक परीक्षण तरीकों का विकास करना।

घ. रिपोर्टिंग के मानकीकृत ऐसे रूपों का विकास करना जो कानूनी जांच - पड़ताल का सामना कर सकते हैं।

ड. उपर्युक्त पर मैनुअल का प्रकाशन और देश में सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में उसका प्रसार करना।

च.न्यूनतम मूल उपकरणों की पहचान करना।

छ. प्रत्येक प्रयोगशालाओं में जो उपकरण उपलब्ध हैं और जिनकी आवश्यकता है उनके बीच के अंतराल को पहचानना।

ज. प्रत्येक प्रयोगशाला को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों की सिफारिशें करना।

झ.देश में विभिन्न फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुपक्षीय सम्मेलन और संकल्प

85. भारत नशीली दवाओं के नियंत्रण पर सभी तीन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशनों का एक हस्ताक्षरकर्ता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक सक्रिय भागीदार कर रहा है और ऐसा करना जारी रखेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रस्तावों के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा। वास्तव में, एनडीपीएस अधिनियम,1985 के अधिनियमन के पीछे एक प्रयोजन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना है।

86. जहाँ आवश्यक और संभव होगा, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों/ संगठनों के सदस्यों के साथ प्रतिनिधिमंडलों को भेजा जाएगा जिससे मामलों पर प्रतिनिधिमंडल के भीतर चर्चा की जा सके और निर्णय लिए जा सकें।

द्विपक्षीय समझौते और सहयोग

87. भारत किसी भी अन्य देश के साथ जो एनडीपीएस से संबंधित मामलों में भारत के साथ द्विपक्षीय काम करने की इच्छा रखता है, द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते यथासंभव व्यापक होंगे जिसमें दवाओं की आपूर्ति और मांग नियंत्रण और वैध व्यापार के सभी पहलुओं को

शामिल किया जाएगा। समझौते की समीक्षा करने और उस पर काम करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों में इनकी पैरवी की जाएगी। द्विपक्षीय सहयोग निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करेंगे:

क. परिचालनात्मक आसूचना, जब्ती के आँकड़ों, कानूनों की प्रतियों को साझा करने और नियंत्रित परिदान, संयुक्त अभियान के माध्यम से दवा की आपूर्ति में कमी पर सहयोग

ख. दवा की मांग में कमी पर सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभव बांटना।

ग. वैध व्यापार और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत दुनिया में सबसे बड़े दवा उत्पादकों में से एक है और यह सबसे सस्ती कीमतों पर दवाइयों का उत्पादन करता है। यह दुनिया भर में चिकित्सा उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों को सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी को साझा करता है।

घ. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण - भारत किसी भी देश की सहायता करेगा जिसे इसकी जरूरत है और अन्य देशों से वह नया सीखेगा, जिसे उसे सीखने की जरूरत है। अन्य देशों की सहायता करने के लिए हमारी सुविधाओं और संसाधनों का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और आपरेशनों में भागीदारी

88. अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और प्रचालन उस तंत्र की रचना करते हैं जो विभिन्न देशों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और प्रयोजनों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए जरूरी हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, कि वे भारत के अधिकारियों के लिए अन्य देशों के अधिकारियों के साथ एक उत्कृष्ट और एक से एक तालमेल और समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं जो देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। जहाँ तक संभव हो, भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और प्रचालनों में भाग लेगा जिसमें उसेआमंत्रित किया जाए या जिसका वह एक पार्टी है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए उभरते चिंता के विषय क्षेत्रों की पहचान के लिए

भारत अभियान शुरू करेगा तथा मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठकों और सेमिनार आयोजित करेगा और चिंता के विषय क्षेत्रों के समाधान के लिए प्रचालन शुरू करेगा।

तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता

89. भारत ने नशीली दवाओं के नियंत्रण के क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता हासिल की है। यह अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करेगा और ऐसी सहायता प्रदान करेगा, जो जहां तक संभव हो, किसी अन्य देश द्वारा वांछित हो। विशेषज्ञता के इस तरह के आदान - प्रदान द्विपक्षीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर यूएनओडीसी और अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। जहां कहीं संभव होगा, भारत उन अन्य देशों के साथ भी संयुक्त रूप से काम करेगा, जो ऐसी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन देशों को सहायता प्रदान की जा सके जिसे इसकी जरूरत है।

90. उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर, भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चलाए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सभी संभव वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

रणनीतिक ढांचे और कार्रवाई की योजना

91. 13 से 17 दिसंबर 2010 तक, अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) ने भारत के लिए एक मिशन का संचालन किया और देश में नशीली दवाओं के नियंत्रण के क्षेत्र में शामिल सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ तथा प्रशामक देखभाल और नशेड़ी के इलाज और पुनर्वास के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के साथ के भी बातचीत की। बाद में, मिशन के अवलोकन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

92. कथित सिफारिशों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले "कार्य योजना" में शामिल किया गया है। उसे संलग्न किया जाता है।

नीति का अनुबंध - कार्य की योजना

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
1.	**राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण प्रणाली:**			
1.1	बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के उद्देश्यों के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की है और इसकी मांग और आपूर्ति में कमी के उपायों के बीच एक संतुलन प्राप्त करने के प्रयास की सराहना की है। यह बोर्ड भारत को राष्ट्रीय दवा नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाना जारी रखने के लिए तथा जहां आवश्यक हो, दवा नियंत्रण निकायों के बीच समन्वय और सहयोग में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।	(i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और सीबीएन का क्षमता निर्माण: a. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए कार्यालय खोलना b. नए कार्यालयों को जनशक्ति, बुनियादी सुविधाओं से लैस करना c. विशेष स्वापक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना या नासेन को उचित रूप से मजबूत बनाना d. सीबीएन के नए कार्यालय खोलना e. सीबीएन के मौजूदा कार्यालयों में कर्मचारियों बढ़ाना और नए कार्यालयों को पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी सुविधाओं से लैस करना (ii) एनडीपीएस के लिए रासायनिक विश्लेषण	a. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय b. गृह मंत्रालय c. स्वास्थ्य मंत्रालय (डीसीजीआई) d. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय e. सीबीएन f. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	(i) क: अक्तूबर, 2011 (i) ख: दिसंबर, 2011 (i) ग: दिसंबर, 2012 (i) घ: मार्च, 2012 (i) ङ: मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
		सुविधाओं में सुधार करना: a. सीआरसीएल की क्षमता बढ़ाना b. मौजूदा राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की क्षमता का आकलन और सुधार के सुझाव के लिए समिति का गठन करना (iii) गृह मंत्रालय हर तिमाही में सचिवों की स्वापक समन्वय समिति की बैठक का आयोजन करेगा		(ii) क: मार्च, 2012 (ii) ख: सितंबर, 2011 में गठित (iii) प्रत्येक तिमाही
2.	**औषधि दुरूपयोग पर राष्ट्रीय सर्वे:**			
2.1	भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा तथा प्रतिमान बदलते रहे हैं। यह बोर्ड सामाजिक न्याय	(i) पायलट सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	सामाजिक न्याय एवं	(i) जून, 2011 (ii) मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यान्वयन की समय-सीमा
	और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निर्णय की प्रशंसा करता है, जिसके लिए पायलट सर्वेक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि जितनी जल्दी हो सके भारत नियोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण लागू करे।	(ii) विस्तारित पायलट सर्वेक्षण (iii) यूएनओडीसी को शामिल करके राष्ट्रीय सर्वेक्षण की योजना बनाना (iv) राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराना	अधिकारिता मंत्रालय	(iii) अप्रैल से जून, 2012 (iv) जुलाई से दिसंबर, 2012
2.2	यथा आवश्यकता, भारत इस सर्वेक्षण के संचालन में नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) की सहायता ले सकता है।	यूएनओडीसी को शामिल करें	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अप्रैल से जून, 2012
3.	**मांग में कटौती की गतिविधियां:**			
3.1	बोर्ड भारत से अनुरोध करना चाहेगा कि वह देश में मांग में कमी गतिविधियों का और विस्तार करे।	(i) जागरूकता बढ़ाने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास में सहायता के लिए हर साल NFCDA के माध्यम से 25-30 गैर सरकारी संगठनों की सहायता (ii) नशामुक्ति में एनएफसीडीए के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में 500 डॉक्टरों को प्रशिक्षण (iii) नशामुक्ति और उपचार सुविधाओं की	(i) राजस्व विभाग (ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (iv) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	(i) प्रति वर्ष (ii) मार्च 2014 तक

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
		स्थापना में अन्य अस्पतालों की सहायता (iv) राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो आदि को शामिल करके मांग में कमी की गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए और उपायों के सुझाव के लिए अंतर - मंत्रालयी समिति का गठन।		कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से (iii) प्रति वर्ष (iv) मार्च, 2012
3.2	भारत को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्राथमिक रोकथाम को मजबूत बनाने के साथ-साथ नशीली दवाओं के नशेड़ियों के इलाज के लिए सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित किया गया है।	(i) वही जो 3.1, 3.3, 3.4 & 3.5 में है	(i) राजस्व विभाग (ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (iii) स्वास्थ्य मंत्रालय, (iv) राज्य सरकारें	वही जो 3.1, 3.3, 3.4 & 3.5 में है
3.3	(i) इस संबंध में, भारत महिला नशेड़ियों के इलाज की जरूरत में वृद्धि पर ध्यान देना चाह सकता है।	(i) एनडीडीटीसी महिला रोगियों के लिए अलग - अलग सेवाओं की शुरूआत करने वाला है। (ii) महिला रोगियों के उपचार के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (नशा मुक्ति केन्द्र), नई दिल्ली को विशेष रूप से पुनर्जीवित करना।	(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (iii) राज्य सरकारें	(i) सितंबर, 2012 (ii) मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यान्वयन की समय-सीमा
		(iii) निमहैन्स, बंगलौर महिला रोगियों के उपचार के लिए अलग डिवीजन शुरू करने वाला है (iv) सरकार द्वारा संचालित देश के मेडिकल कालेजों के सभी मनश्चिकित्सा /नशा मुक्ति विभागों के पास देश में महिला रोगियों के उपचार के लिए अलग सुविधाएं हैं।		(iii) मार्च, 2012 (iv) मार्च, 2013
	(ii) भारत उन विशेष उपचार आवश्यकताओं, जैसे स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से युक्त औषधीय उत्पादों के बढ़ते दुरुपयोग पर भी ध्यान बढ़ाएगा।	(i) औषधीय उत्पादों के नशेड़ियों के विशेष उपचार की जरूरत का आकलन (ii) सरकार द्वारा संचालित प्रमुख अस्पताल / मेडिकल कालेजों के अंतराल को भरना	(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	(i) मार्च, 2012 (ii) जनवरी, 2012 से सितंबर, 2012
3.4	यह महत्वपूर्ण है कि देश में सभी उपचार केन्द्रों में प्रदान किया जाने वाला उपचार संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा।	(i) नशा मुक्ति उपचार केन्द्रों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले देखभाल के न्यूनतम मानकों का विकास (ii) सरकार के सभी केन्द्रों को मानकों का वितरण (iii) सभी राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों को इन मानकों को अपनाने और फिर उन्हें लागू करने के लिए मनाना (iv) निगरानी करना कि मानकों का अनुपालन	(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ii) राज्य सरकारें	(i) मार्च, 2012 (ii) अप्रैल से जून, 2012 (iii) जुलाई, 2012 के

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यान्वयन की समय-सीमा
		किया जा रहा है		बाद (iv) जारी
3.5	भारत को यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रमों द्वारा उपचार कार्यक्रम पूरे किए जाएं।	(i) सभी सरकारी उपचार केन्द्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम शामिल करना (ii) गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित भारत सरकार द्वारा समर्थित सभी केंद्रों में इस तरह के कार्यक्रमों को शामिल करना	(i) स्वास्थ्य मंत्रालय (ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (iii) राज्य सरकारें (iv) राजस्व विभाग	(i) मार्च, 2012 (ii) सितंबर, 2012
4.	**आपूर्ति कटौती की गतिविधियां**			
4.1	मिशन ने कहा है कि भारत में अवैध नशीली दवाओं के यातायात के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गतिविधियां मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) द्वारा प्रभावी रूप से समंवित हैं। बोर्ड ने इन गतिविधियों को और मजबूत बनाने के लिए	वही जो पैरा 1.1 में है	वही जो पैरा 1.1 में है	वही जो पैरा 1.1 में है

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	भारत से सिफारिश की है।			
4.2	अवैध रूप से नशीले कच्चे माल उत्पादक देश के रूप में, भारत को अफीम की अवैध खेती को खत्म करना चाहिए।	(i) प्रभावी पहचान के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करें (ii) प्रभावित क्षेत्रों के नवीनतम डिजिटल नक्शे प्राप्त करना (iii) 2010-11 के अनुभव की समीक्षा और सभी संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठक का आयोजन (iv) विनाशकारी आपरेशन चलाने के लिए विशेष कार्य बल बनाना (v) 'पारंपरिक' अवैध खेती के क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना (vi) ऐसे क्षेत्रों में नशामुक्ति एवं उपचार सुविधाओं सहित उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। (vii) 'पारंपरिक' अवैध किसानों के लिए आजीविका के वैकल्पिक साधनों का विकास करना	(i) राजस्व विभाग (ii) सीबीएन, (iii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (iv) सीईआईबी (v) एडीआरआईएन (vi) संबंधित राज्य सरकारें (vii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	(i) प्रत्येक वर्ष, जब तक अवैध पोस्त की खेती का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता (ii) दिसंबर, 2011 (iii) दिसंबर, 2011 (iv) दिसंबर, 2012 (v) मार्च, 2012 (vi) मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
				(vii) जून, 2013
4.3	इसी तरह, भांग के पौधे की अवैध खेती को खत्म करने के लिए के उपाय करना जारी रखना चाहिए।	(i) अवैध भांग की खेती करने के लिए प्रवण क्षेत्रों को पहचानें (ii) संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करना। (iii) अवैध भांग के उन्मूलन के लिए आगे के कदमों की पहचान	(i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (ii) राज्य सरकारें	(i) दिसंबर, 2011 (ii) मार्च, 2012 (iii) अप्रैल, 2012
4.4	भारत को भी सिंथेटिक दवाओं के अवैध निर्माण में नई प्रवृत्तियों, जैसे एम्फ़ैटेमिन प्रकार के उत्तेजकों का विनिर्माण करने वाली गुप्त प्रयोगशालाओं के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।	(i) एटीएस पुरोगामियों के घरेलू निर्माण, परिवहन, उपयोग आदि पर नियंत्रण को मजबूत बनाना (ii) स्वैच्छिक आचार संहिता अंगीकृत करने के लिए एटीएस पुरोगामियों के निर्माताओं को शामिल करना (iii) गुप्त एटीएस प्रयोगशालाओं के बारे में विशिष्ट आसूचना का विकास करना	(i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (ii) डीसीजीआई (iii) एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रवर्तन एजेंसियां	(i) मार्च, 2012 (ii) मार्च, 2012 (iii) जारी
क्रम सं0	आईएनसीबी की सिफारिश	एक्शन पाइंट	अभिकरण	कार्यान्वयन समय सीमा
4.5	कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को स्वापक	i. डी एंड सी अधिनियम को सख्ती से	i. एनसीबी	चल रही है ।

क्रम सं ख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	औषधियों अथवा मन:प्रभाव पदार्थों वाली फार्मास्यूटिकल मदों के गैर-कानूनी आवागमन तथा तस्करी के विरूद्ध अपनी तैयारी सुदृढ करनी चाहिए ।	लागू करने हेतु राज्य औषधि नियंत्रण अभिकरणों को मजबूत करना। ii. स्वापक औषधियों विशेषकर कोडीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास बिक्री की मॉनीटरिंग करना । iii. स्वापक औषधियों का कोटा अपेक्षाओं के सत्यापन के बाद ही आबंटित किया जाए ।	ii. राजस्व विभाग iii. (सीबीईसी,डीआरआई ,सीबीएन), iv. स्वास्थय मंत्रालय v. राज्य सरकारें (औषधि नियंत्रण)	
4.6	भारतीय प्राधिकारियों ने हाल ही के वर्षों में कई बड़े गैरकानूनी इंटरनेट फार्मेसियों का पता लगाया है । भारत गैरकानूनी इंटरनेट फार्मेसियों तथा काल सेन्टरों, जो भारत में तथा अन्य देशों में स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की लोगों को आपूति करते हैं तथा इन सुविधाओं का संचालन करने वाले तस्करों तथा भारत से निर्यात होने वाले स्वापक औषधियों तथा मन: प्रभावन पदार्थों को	इंटरनेट व्यापारियों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच हेतु एक समिति गठित की जाए तथा वह सिफारिशें करें कि : i. इंटरनेट फार्मेसियों पर नियंत्रण हेतु प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय करने हेतु एक विनियामक बनाएं ii. अंतर्राष्ट्रीय मेल की रूटिंग तथा जांच हेतु कानून लाए iii. अंतर्राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर के	एनसीबी	मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	प्राप्त करने वाले देशों के प्राधिकारियों से सहयोग जारी रखते हैं, के विरूद्ध उपायों को और मजबूत करने की सिफारिश करता है । इस संबंध में भारत आईएनसीबी में निहित सिफारिशों को अपना सकता है "सरकारों हेतु इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रूप से नियंत्रित पदार्थों की गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाने हेतु मार्ग निर्देशिकाएं" जिन्हें बोर्ड द्वारा 2009 में प्रकाशित किया गया था जिसमें निम्न शामिल है:- i. गैर कानूनी इंटरनेट फार्मासियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मेल की पदनामित रूटिंग तथा जांच के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सामान्य विधान ii. नियंत्रित पदार्थों की बिक्री करने हेतु इंटरनेट फार्मेसियों का पंजीकरण तथा इंटरनेट के माध्यम से फार्मास्यूटिकल सेवाओं हेतु मानदंड स्थापित करने हेतु	सक्रिय सहयोग की मांग करे iv. ऐसे मामलों में अंतर्राट्रीय सहयोग v. देश के भीतर जानकारी का आदान-प्रदान ।		

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	विशिष्टि विधान iii. रिर्पोटिंग तथा जांच प्रणाली सहित व्यापार नियंत्रण तथा विनिर्माण के संबंध में मौज़ूदा विनियमों की पर्याप्तता: का मूल्यांकन iv. अन्य देशों के साथ सूचना विनिमय हेतु तथा संदेहात्मक व्यापार के संबंध में आईएनसीबी और जांच तंत्र की स्थापना v. इंटरनेट पोस्टल, कोरियर तथा वित्तीय सेवा आदि प्रदान करने वालों के साथ संबंध स्थापित करना vi. इंटरनेट के द्वारा नशीली औषधियों की तस्करी के बारे में जानकारी एकत्रित करना और सायबर पेट्रोल इकाइयों की स्थापना पर विचार करना vii. विभिन्न्न अभिकरणों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना viii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग			

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
5.	पोस्त अफीम की गैर कानूनी खेती तथा अफीम उत्पादन पर नियंत्रण			
5.1	बोर्ड इस बात की सराहना करता है कि केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा पोस्त अफीम की गैर कानूनी खेती तथा उत्पादन पर कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाता है और सिफारिश करता है कि भारत गैर-कानूनी उपयोग हेतु अफीम की आवाजाही पर कड़ी रोक लगाए रखे।	गैर कानूनी अफीम उत्पादन पर नियंत्रण के मौजूदा उपाय बरकरार रखे जाएं ।	सीबीएन	जारी है
5.2	बोर्ड सरहाना करता है कि अफीम के कच्चे माल के उत्पादन से संबंधित जानकारी के सांख्यिकी आंकड़े नियमित रूप से भारत सरकार द्वारा आईएनसीबी को सूचित किए जाते हैं । तथापि, अफीम पोस्त की खेती हेतु प्रयुक्त होने वाले क्षेत्रफल का अनुमान तथा अफीम के उत्पादन की लगभग मात्रा का अनुमान हाल के वर्षों में बोर्ड को बड़े विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं । बोर्ड भारत को यह सुनिश्चित करने हेतु कि अफीम पोस्त की खेती तथा अफीम उत्पादन के अनुमानों को आईएनसीबी को समय से प्रस्तुत	i. अफीम की खेती तथा उसके लगभग उत्पादन की अपेक्षा हेतु भूमि के क्षेत्रफल का अनंतिम अनुमान निकाला जाए ii. इसकी सूचना आईएनसीबी को दी जाए	i. सीबीएन ii. राजस्व विभाग iii. एनसीबी	i. प्रत्येक वर्ष के जून माह में ii. प्रत्येक वर्ष के जून माह में

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहेगा ।			
6.	पुरोगामियों का नियंत्रण			
6.1	बोर्ड पुरोगामियों के नियंत्रण में भारत सरकार के आईएनसीबी के साथ करीबी सहयोग की सराहना करता है । तथापि, स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावन पदार्थों में गैर कानूनी तस्करी संबंध संघ राष्ट्र कंनवेशन, 1988 में अधिसूचित कई पुरोगामी अभी तक भारत के राष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं हैं । बोर्ड आपकी सरकार से अनुरोध करता है कि 1988 की कनवेंशन की तालिका I तथा II में सभी पदार्थों के लिए नियंत्रण प्रदान किया जाए तथा ऐसे सभी देशों जिन्होंने 1988 की कनवेंशन के पैरा 10(क) के अनुच्छेद 12 के अनुपालन में अनुरोध किया है उनके लिए सभी देशों के पुरागामियों के शिपमैंट हेतु निर्यात पूर्व अधिसूचना के प्रावधानों की सुलभता हेतु एक तंत्र स्थापित करे ।	i. सभी तालिका I तथा II के पदार्थों के ऊपर नियंत्रण प्रदान करने के क्रम में 'विनियमन नियंत्रण पदार्थों' के संबंध में संशोधित प्रारूप ii. संशोधन आदेश के संबंध में सभी स्टॉक होल्डरों के साथ परामर्श iii. संशोधित आदेश अधिसूचित किया जाए।	i. राजस्व विभाग ii. सी बी एन iii. एन सी बी	i. सितम्बर, 2011 ii.जनवरी, 2012 iii. मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
6.2	भारत को फीडराइन तथा सुडोफीडराइन की फार्मास्यूटिकल रूप में तथा प्राकृतिक उत्पादों के रूप में उसी तरह नियंत्रण हेतु उपाय करने चाहिए जैसे कि इन पदार्थों पर ही किया जाता है।	पैरा 6.1 ही की तरह	पैरा 6.1 ही की तरह	पैरा 6.1 ही की तरह
7.	स्वापक औषधियों तथा मन: प्रभावन पदार्थों की गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण			
7.1	स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावन पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भारत में लगाए गए नियंत्रण सुचारूरूप से काम कर रहे हैं तथा इन औषधियों तथा पदार्थों के भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही है ।	स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावन पदार्थों के अंतर्राट्रीय व्यापार पर मौजूदा नियंत्रणात्मक उपायों को जारी रखा जाएगा।	i. राजस्व विभाग ii. सीबीएन	चल रही है।
7.2	तथापि, बोर्ड आईएनसीबी में भारत द्वारा स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावन पदार्थों से संबंधित घरेलू गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में दी गई सूचना की गुणवत्ता को लेकर चिंतित है तथा 2010 में आईएनसीबी में भारत द्वारा प्रस्तुत अनुमानों तथा सांख्यिकी	i. स्वापक औषधियों के संबंध में विनिर्माताओं तथा डीलरों द्वारा भरी जाने वाली विवरणी हेतु आनलाइन साफटवेयर बनाया जाए । ii. ऐसी आन लाइन	i. राजस्व विभाग ii. सीबीएन	i. सितम्बर, 2012 ii. दिसम्बर, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यान्वयन की समय-सीमा
	आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की टिप्पण की है । तथापि, भारत को आईएनसीबी में स्वापक औषधियों के उपयोग की आदेशात्मक रिपोर्ट प्रदान करने में कठिनाई होती रही है । बोर्ड भारत को स्वापक पदार्थों के बारे में अपने अनुमानों तथा सांख्यिकी रिपोर्ट की गुणवत्ता में आगे और सुधार लाने की सिफारिश करता है तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सिंगल कनवेंशन आन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 जैसा 1972 प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित है, में 'उपयोग' की परिभाषा के अनुरूप स्वापक औषधियों के उपयोग संबंधी रिपोर्ट सहित इन सभी रिपोर्टों को यथासमय प्रस्तुत करें।	विवरणियों की मानीटरिंग हेतु सीबीएन में समर्पित अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए ।		
7.3	बोर्ड की एक मुख्य चिंता भारत द्वारा मन: प्रभावन पदार्थों संबंधी कनवेंशन , 1971 के अंतर्गत आदेशात्मक रिपोर्टिंग के अनुपालन में भारत द्वारा अनुभव की जाने वाली	i. फार्म 'पी' में अपेक्षित जानकारी के अनुरूप मन:प्रभावन पदार्थों के विनिर्माण, व्यापार आदि	i. सीबीएन ii. राजस्व विभाग iii. डीसीजी	i. मार्च, 2012 ii. मार्च, 2012

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	कठिनाईयों को लेकर है । भारत 1975 से इस संधि में एक पक्ष रहा है तथा मन:प्रभावन पदार्थों के संबंध में विनिर्माण तथा स्टोक जैसी घरेलू गतिविधियों से संबंधित गैर संतोषजनक रिपोर्टिंग के मामले को बोर्ड द्वारा कई बार भारत के साथ उठाया गया है जिसमें 2003 में भारत को बोर्ड के पिछले मिशन के बाद भेजा गया एक पत्र भी शामिल है । मन: प्रभावन पदार्थों के बारे में पर्याप्त रिपोर्ट की विफलता भारत में मन:प्रभावन पदार्थों के नियंत्रण में सामान्य अनुभव प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति के कारण मन: प्रभावन पदार्थों की गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में बोर्ड की मानीटरिंग पर नाकारात्मक प्रभाव डालती है तथा इससे उन देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिन्हें भारत से तस्करी के रूप में ये पदार्थ प्राप्त होते हैं । बोर्ड अनुरोध करती है कि भारत आईएनसीबी	की मानीटरिंग हेतु एक साफ्टवेयर विकसित करें। ii. मन:प्रभावन पदार्थों के ऑन लाईन विवरणी में कोटा तथा आदेशात्मक फाईलिंग हेतु नियामक परिवर्तन करे जाएं । iii. आन लाइन साफ्टवेयर के संबंध में कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। iv. एक आनलाईन साफ्टवेयर आरंभ किया जाए	आई	iii. जनवरी से जून तथा उसके बाद आवश्यकता आधार पर

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यान्वयन की समय-सीमा
	में मन:प्रभावन पदार्थों की घरेलू गतिविधियों की पर्याप्त रिपोर्टिंग 1971 कनवेंशन के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप करे।			
7.4	मिशन को सूचना मिली है कि फार्मेसियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता जिसके कारण स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावन पदार्थों वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों की आवाजावी, तस्करी तथा दुरूपयोग होता है । बोर्ड अनुरोध करता है कि भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादों जिनमें स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावन पदार्थ होते हैं, उनकी अंतरराष्ट्रीय औषधि नियंत्रण संधियों तथा भारत की राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप निर्धारित अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।	i. राज्य औषधि नियंत्रकों का मानव संसाधन, आधारभूत ढांचे आदि के अनुसार क्षमता निर्माण ताकि ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन किया जा सके। ii. ऐसे उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए । iii. ऐसी ड्रग्स की प्रिसकिप्शन तथा बिक्री हेतु आनलाईन पारदर्शी प्रणाली ।	i. डीजीसीआई ii. राज्य औषध नियंत्रण	i. जून, 2012 ii. जनवरी, 2012 से आगे iii. मार्च, 2013
7.5	इसके अतिरिक्त मिशन ने यह टिप्पणी की है कि कई फार्मास्यूटिकल उत्पाद जिनके लिए कोई प्रिसकिप्शन आवश्यक नहीं है, जिनमें	पैरा 4.5 में प्रस्तावित कार्रवाई के अलावा	i. सीबीएन ii. डीजीसीआई iii. स्वास्थय	(i) तथा (ii) चल रही हैं ।

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	कोडीन तथा डेक्स्ट्रोप्रोपीलीन जैसी कई स्वापक औषधि कम मात्रा में पाई जाती है उन्हें दुरूपयोगकर्ताओं द्वारा फार्मासी से बड़ी मात्रा में खरीद लिया जाता है । इन उत्पादों का दुरूपयोग दिनों दिन बढ़ती हुई समस्या को दर्शाता है। बोर्ड अनुरोध करता है कि भारत इन फार्मास्युटिकल उत्पादों का दुरूपयोग रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जिसमें फार्मेसियों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा जनता को संगत उपबंधों की जानकारी शामिल है जबकि वैध चिकित्सीय उपयोग हेतु इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।	i. ऐसे दुरूपयोग के संबंध में फार्मेसियों का प्रशिक्षण ii. ऐसे दुरूपयोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता	मंत्रालय iv. राज्य औषध नियंत्रक	
8.	चिकित्सीय उपयोग हेतु ओपाइड एनलजेसिक सहित नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता			
8.1	भारत में ओपाइड एनलजेसिक का बहुत कम उपयोग होता है । मिशन ने टिप्पण किया कि भारतीय प्राधिकारी उपलब्धता में होने वाली रूकावट से भी भली प्रकार परिचित है लेकिन	(i) जैसाकि पैरा 8.2 से 8.4 में है ।	i. राजस्व विभाग ii. स्वास्थय मंत्रालय iii. राज्य सरकारें	चल रही है।

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	फिर भी सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन काफी धीमा रहा है । बोर्ड भारत से नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता सुधारने का अनुरोध करता है जिसमें चिकित्सीय उपयोग हेतु ओपाइड एनलजेसिक भी शामिल है ।			
8.2	भारत इस मामले में व्यापक रूप से कार्य करना चाहेगा तथा पर्याप्त उपलब्धता में सभी रूकावटों को जिनमें विनियामक, अभिवृत्तिात्मक, सूचना संबंधी तथा आर्थिक रूकावट शामिल है ।	(i) पर्याप्त उपलब्धता में होने वाली रूकावटों की पहचान करना	i. राजस्व विभाग ii. स्वास्थय मंत्रालय iii. राज्य सरकारें	चल रही है ।
8.3	इस संबंध में बोर्ड भारत को सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में सरलीकृत नियम कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करता है ताकि ओपाइड एनलजेसिक सुलभता से उपलब्ध हो ।	i. 'माडल विनियम' संशोधित करना ii. राज्यों द्वारा अनुपालनार्थ एसओपी बनाना iii. 10 राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु प्रयास करना iv. 10 अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु प्रयास v. बकाया राज्यों द्वारा अपनाए	i. राजस्व विभाग ii. स्वास्थय मंत्रालय iii. राज्य सरकारें	i. मार्च, 2012 ii. मार्च, 2012 iii. दिसम्बर, 2012 iv. जून, 2013

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
		जाने हेतु प्रयास		v. दिसम्बर, 2013
8.4	इस संबंध में बोर्ड भारत को "अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रित औषधि चिकित्सीय तथा वैज्ञानिकी उद्देश्य हेतु पारित उपलब्धता" नामक आईएनसीबी वार्षिक रिपोर्ट,2010 के अनुपूरक में निहित सिफारिशों की जांच तथा कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित करता है ।	i. चिकित्सीय व्यवसायों को शिक्षित तथा प्रशिक्षण - आदी व्यक्तियों तथा पलेवटीन केयर के बारे में चिंताओं का संबोधन ii. मोरफिन तथा अन्य ओपाइड एनलजेसिक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	i. स्वास्थ्य मंत्रालय ii. चिकित्सीय शिक्षा विभाग iii. सीसीएफ iv. राज्य सरकारें	चल रही है ।
9.	कैनाबीस पत्तियों से बनाए जाने वाले उत्पादों का गैर कानूनी उत्पादन तथा विक्रय			
9.1	मिशन को सूचित किया गया कि जंगल में उगने वाले कैनाबीस पत्तियों से बनाए गए उत्पादों का उत्पादन तथा विक्रय भारत के कई राज्यों में लाइसेंस के अंतर्गत स्वीकार्य है । हालांकि कैनाबीस पौधे की पत्तियां, बगैर ऊपरी भाग के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर है परंतु 1961 की सिंगल कनवेंशन के पक्षों का	पैरा 9.2 तथा 9.3 में दिए अनुसार	पैरा 9.2 तथा 9.3 में दिए अनुसार	पैरा 9.2 तथा 9.3 में दिए अनुसार

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	दायित्व बनता है कि वे कैनाबीस पौधे की पत्तियों के दुरूपयोग तथा गैर कानूनी तस्करी के निरोध हेतु उपाय करे ।			
9.2	इसके अतिरिक्त,बोर्ड इस बात से अवगत है कि गैर कानूी ड्रग्स मार्किट में ''भांग'' जैसे उत्पाद कैनाबीस पत्त्यिों के अतिरिकत उपलब्ध है । बोर्ड चिंतित है कि कैनाबीस पत्तियों से कानूनी रूप से बनाए जाने वाले कई उत्पादों में 1961 की सिंगल कनवेंशन में परिभाषित कैनाबीस पत्तियों का उपयोग हो सकता है । बोर्ड भारत से अनुरोध करता है कि वह कैनाबीस की पत्तियों से बनाए गए गैर कानूनी उत्पादों का दुरूपयोग तथा गैर कानूनी तस्करी पर रोक सुनिश्चित करे ।	i. राज्य सरकारों से भांग के लाइसैंस हेतु आवश्यक जानकारी एकत्रित करे तथा यह सुनिश्चित किया जाए की उसमें कैनाबीस पौधे का ऊरी हिस्सा नहीं हो इसके लिए विनियामक तथा प्रशासनिक उपाय किए जाए । ii. यदि कोई कमी हो तो उसकी पहचान की जाए तथा उसे संशोधित किया जाए ।	i. राजस्व विभाग ii. राज्य सरकारें, भांग बनाने का लाइसेंस देन वाली iii. सीबीएन iv. एनसीबी	i. दिसम्बर, 2011 ii. मार्च, 2011
9.3	बोर्ड भारत में कानूनी रूप से कैनाबीस पत्तियों से बनाई जाने वाले उत्पादों तथा 1961 सिंगल कनवेंशन के पैराग्राफ 3,	(i) आईएनसीबी को निम्न के विषय में सूचित करें :-	राजस्व विभाग को राज्य सरकारों,	मार्च, 2012

क्रम सं ख्या	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अनुशंसा	कार्रवाई बिंदु	एजेंसी	कार्यावयन की समय-सीमा
	अनुच्छेद 28 के उपबंधों के अनुसार कैनाबीस पौधे की पत्तियों से बने उत्पादों के दुरूपयोग तथा गैर कानूनी तस्करी रोकने हेतु भारत द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा इसके साथ-साथ इन उत्पादों के उपभोग के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, के बारे में जानकारी चाहता है। बोर्ड 1961 सिंगल कनवेंशन में परिभाषित किए अनुसार ऐसे उत्पादों के उत्पादन में कैनाबीस के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु भारत में अपनाए गए उपायों के बारे में भी जानकारी चाहता है ।	(क) कैनाबीस पत्तियों से बनाए गए उत्पादों (ख) कैनाबीस पत्तियों की गैर कानूनी तस्करी पर रोक लगाने हेतु किए उपायों (ग) कैनाबीस पत्तियों के उत्पादों के उपभोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव	एनसीबी तथा सीबीएन से सूचना एकत्रित करने के बाद	